C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXVII, Eleventh Session, 2012/1934 (Saka)
No. 4, Tuesday, August 14, 2012/Sravana 23, 1934 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWER TO QUESTION	
Starred Question No. 61	1-6
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 62 to 80	7-102
Unstarred Question Nos. 691 to920	103-752

PAPERS LAID ON THE TABLE **753-756, 760**

MESSAGE FROM RAJYA SABHA **756**

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE **756**
4th Report

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

(i) 15th and 16th Reports **757**

(ii) Statements **757**

STANDING COMMITTEE ON LABOUR **757-758**
Statements

MOTIONS RE: JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT **759**

MOTION RE: FORTIETH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE **760**

SUBMISSION BY MEMBERS
Re: Instigating demonstrators protesting against violence in Assam at Azad Maidan, Mumbai **761-765**

MATTERS UNDER RULE 377 **785-799**

(i) Need to declare 15th July, the birthday of Shri K. Kamaraj as "National Day befitting his status, linking it with Mid-day Meal Scheme, throughout the country.

Shri N.S.V. Chitthan **786**

(ii) Need to expedite Nemmeli de-salination Plant and accord approval for another plant at Pattipulam village in Kancheepuram Parliamentary Constituency, Tamil Nadu.

Shri P. Viswanathan 787

(iii) Need to implement Sabari Rail Project as a Central Government scheme.

Shri Anto Antony 788

(iv) Need to give environmental clearance to Srinagar hydro-electric project in Uttarakhand.

Shri Satpal Maharaj 789

(v) Need to provide adequate water for irrigation to Bharatpur in Rajasthan.

Shri Ratan Singh 790

(vi) Need to provide adequate financial assistance from Calamity Relief Fund to the drought-hit areas of Rajasthan.

Shri Arjun Ram Meghwal 791

(vii) Need to include Kehtauri, Bhuiyan, Ghatwal, Bhuiyan-Ghatwal, Periyar and Kadar communities of Santhal Pargana, Jharkhand in the list of Scheduled Tribes.

Shri Nishikant Dubey 792

(viii) Need to undertake repair and maintenance of National Highway No. 76 between Allahabad – Chitrakoot, Chitrakoot-Banda, and Banda-Mahoba sections in Uttar Pradesh.

Shri R.K. Singh Patel 793

(ix) Need to take effective measures to reduce the Maternal Mortality Rate in the country.

Shrimati Seema Upadhyay **794**

(x) Need to ensure electrification of all the villages in Jhanjarpur Parliamentary Constituency, Bihar as per specified norms.

Shri Mangani Lal Mandal **795**

(xi) Need to permit Cooperative Banks to extend agriculture loan to farmers in Maharashtra.

Shri Prataprao Ganpatrao Jadhav **796**

(xii) Need to release the balance funds for the Brihan Mumbai Storm Water Drainage Project in Mumbai, Maharashtra.

Shrimati Supriya Sule **797**

(xiii) Need to address the problems of the distressed people in Paschim Medinipur, Purulia and Bankura districts of West Bengal facing acute shortage of water due to deficient monsoon.

Shri Prabodh Panda **798**

(xiv) Need to release the salary of workers of Bharat Wagon & Engineering Co. Limited, Muzaffarpur Unit in Bihar and to give impetus to the production from the unit.

Dr. Raghuvansh Prasad Singh **799**

DISCUSSION UNDER RULE 193

Increase in Naxalite and Maoist activities in the Country 800-832

Shri Basu Deb Acharia 800-810

Shri Bhakta Charan Das 811-816

Kumari Saroj Pandey 817-821

Shri Shailendra Kumar 822-824

Shri Bhartruhari Mahtab 825-829

Shri Dara Singh Chauhan 830-831

RE: DEMISE OF CABINET MINISTER, SHRI VILASRAO DESHMUKH 832

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 833

Member-wise Index to Unstarred Questions 834-839

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 840

Ministry-wise Index to Unstarred Question 841

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, August 14, 2012/Sravana 23, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

MADAM SPEAKER: Now, the Question Hour.

Q. No. 61 – Shri Harin Pathak.

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग जो भी कहना चाहते हैं, जीरो आवर में कह लीजिएगा।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions)**

11.01hrs.

At this stage, Shri Anandrao Adsul and Sk. Saidul Haque and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded

11.01½ hrs

MADAM SPEAKER: Question No.61,Shri Harin Pathak

(Q. No.61)

अध्यक्ष महोदया : पाठक जी, आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

SHRI HARIN PATHAK: Madam, the House is not in order....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए। आप सवाल तो कीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI HARIN PATHAK: Let the House be in order....(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You have to ask supplementary.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : चौधरी लाल सिंह जी, आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: महोदया, मेरी मंत्री जी से मांग है कि जम्मू से जो तीर्थ यात्री वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते हैं, उनकी सुविधा के लिए मेट्रो चलाना बहुत लाजिमी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी जम्मू से वैष्णो देवी तक मेट्रो चलाने का विचार रखते हैं या नहीं?...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदया, मेट्रो के लिए पालिसी है कि जिस शहर की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा होगी, वहीं केवल मेट्रो चल सकती है। माननीय सदस्य जम्मू से वैष्णो देवी की बात कह रहे हैं, वह शहर के अंदर नहीं है। मेट्रो केवल शहरों के लिए है, बाकी जगह रेलवे के अधीन हैं।...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह: महोदया, पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस समस्या का कोई समाधान दे सकते हैं?...(व्यवधान) इस बारे में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?...(व्यवधान) क्या इसके लिए कोई सर्वे टीम का गठन किया जा रहा है?...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदय, क्या आप अपना प्रश्न दोहराएंगे।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet at 12.00 Noon.

11.05 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

…

<u>12.00 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Madam Speaker *in the Chair*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। पहले जीरो आवर होने दीजिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF CULTURE (KUMARI SELJA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Eastern Zonal Cultural Centre, Kolkata, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Eastern Zonal Cultural Centre, Kolkata, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 7081/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2010-2011.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 7082/15/12)

(5) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Hindustan Prefab Limited and the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 7083/15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Food Corporation of India and the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 7084/15/12)

MADAM SPEAKER: Shri Saugata Ray - Not present.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): महोदया, मैं श्री हरीश रावत की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(Placed in Library, See No. LT 7087/15/12)

(ख) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(Placed in Library, See No. LT 7088/15/12)

(ग) (एक) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(Placed in Library, See No. LT 7089/15/12)

(घ) (एक) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 7090/15/12)

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1102(अ) जो 15 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले उसमें उल्लिखित कास्टमाइज्ड उर्वरकों के विनिर्देश तीन वर्ष की अवधि के लिए अधूसचित किए गए हैं।

(दो) उर्वरक नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2012 जो 22 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1420(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का.आ. 1421(अ) जो 22 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स पारादीप फास्फेट लिमिटेड द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले उसमें उल्लिखित अनंतिम उर्वकरों के विनिर्देश इस अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियत किए गए हैं।

(Placed in Library, See No. LT 7091/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. S. JAGATHRAKSHAKAN): I beg to lay on the Table copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Broadcast Engineering Consultants India Limited and the Ministry of Information and Broadcasting for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 7092/15/12)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 7093/15/12)

12.01 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message from Rajya Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 9th August, 2012 agreed without any amendment to the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Bill, 2012 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st May, 2012."

12.01¼ hrs.

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE
4TH Report

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): महोदया, मैं "रेल मंत्रालय की लम्बित निर्माणाधीन परियोजनाएं -चेरकला, केरल में ऑटोकास्ट फैक्ट्री को शुरु करना - एक मामला अध्ययन" के बारे में रेल अभिसमय समिति (2009) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

<u>12.01 ¾ hrs.</u>

COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
(i) 15th and 16th Reports

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): I beg to present the following Reports (Hindi and English Versions) of the Standing Committee on External Affairs:-

(1) 15th Report* (15th Lok Sabha) on "Problems relating to Overseas Indian Marriages : Scheme for providing legal/ financial assistance/ rehabilitation to Indian women deserted by their Overseas Indian spouses".

(2) 16th Report (15th Lok Sabha) on 'The Piracy Bill, 2012'.

(ii) Statement

SHRI ANANTH KUMAR : I beg to lay on the Table the Statement (Hindi and English versions) showing action taken by the Government on the recommendations contained in the 11th Report (15th Lok Sabha) of the Standing Committee on External Affairs on the replies to the recommendations contained in the 10th Report (15th Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2011-2012 of the Standing Committee on External Affairs.

---

* The 15th Report was presented to the Hon. Speaker on 12 July, 2012 under direction 71A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha when the House was not in Session and the Hon. Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Report under rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

12.02 hrs.

COMMITTEE ON LABOUR
Statements

SHRI HEMANAND BISWAL (SUNDARGARH): I beg to lay on the Table the following Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Labour:-

(1) Statement showing further action taken by the Government on the recommendations/observations contained in Twenty-fifth Action Taken Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Labour on the recommendations contained in Nineteenth Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants for the year 2011-12 of the Ministry of Labour and Employment.

(2) Statement showing further action taken by the Government on the recommendations/observations contained in Twenty-sixth Action Taken Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Labour on the recommendations contained in Twentieth Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants for the year 2011-12 of the Ministry of Textiles.

(3) Statement showing further action taken by the Government on the recommendations/observations contained in Twenty-seventh Action Taken Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Labour on the recommendations contained in Eighteenth Report (Fifteenth Lok Sabha) on `Directorate General of Employment and Training – A Review'.

12.03 hrs

MOTION REGARDING JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): महोदया, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:-

> "कि यह सभा श्री विजय बहुगुणा, जिन्होंने 23 जुलाई, 2012 से लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है, के स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार अपने में से लोकसभा के एक सदस्य को निर्वाचित करे।"

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do proceed to elect one Member of Lok Sabha from amongst themselves in accordance with the principle of proportional representation by means of the single transferable vote, to serve as a member for the remaining term of the Joint Committee on Offices of Profit vice Shri Vijay Bahuguna resigned from the Membership of Lok Sabha with effect from 23 July, 2012."

The motion was adopted.

श्री रेवती रमण सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:-

> "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, राज्य सभा के श्री पी.आर. राजन के अवकाशप्राप्त करने के कारण उत्पन्न रिक्ति के बाबत एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य सभा के एक सदस्य को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा के सूचित करे।"

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect one Member of Rajya Sabha, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancy caused by the retirement of Shri P.R. Rajan from Rajya Sabha and do communicate to this House the name of the member so elected by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

12.04 hrs

MOTION RE: FORTIETH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to move:

> "That this House do agree with the Fortieth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 13th August, 2012."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Fortieth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 13th August, 2012."

The motion was adopted.

12.05 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE....Contd

MADAM SPEAKER: Shri Saugata Ray.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (PROF. SAUGATA ROY): Madam Speaker, I am sorry; I was not present here when you called out my name. With your permission, I beg to lay on the Table:-

(1)A copy of the Notification No. S.O.1297(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 6th June, 2012 making certain amendments in the Notification No. S.O. 683(E) dated 24th March, 2008 and Notification No. S.O. 1452(E) dated 16th June, 2008 issued under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957.

(Placed in Library, See No. LT 7085/15/12)

(2) A copy of the Notification No. S.O.1302(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 7th June, 2012 regarding inclusion of Delhi MRTS Phase-III extension to Badarpur-Faridabad and Vaishali (Ghaziabad) corridors under the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978, issued under Section 32 of the said Act.

(Placed in Library, See No. LT 7086/15/12)

---

12. 06 hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Instigating demonstrators protesting against violence in Assam at Azad Maidan, Mumbai.

MADAM SPEAKER: Now, we shall take up 'Zero Hour'. Shri Anant Geete. Please be very brief.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अध्यक्ष महोदया, शनिवार को मुम्बई में रजा एकेडमी और आवामी विकास पार्टी, इन दो मुस्लिम संगठनों की ओर से कोकराझार के दंगे को लेकर मुम्बई में दंगा किया गया। यह दंगा एक बहुत ही गम्भीर मामला है। वहां जो दंगा करने वाले थे, उन्होंने सीधे पुलिस पर अटैक किया, पुलिस वैन जलाई गई, मीडिया पर अटैक किया, उनकी वैन भी जलाई गई। इसके साथ-साथ जो बैस्ट की बसेज हैं, उन्हें भी जला दिया गया, तोड़ दिया गया। उन्होंने वहां जो दंगा किया, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। यह केवल मुम्बई तक सीमित नहीं है, इसके दुष्परिणाम सारे देश में हो सकते हैं। जिन संगठनों ने यह दंगा किया है, वे चाहते हैं कि देश भर में दंगे हों, इसलिए यह मामला बहुत गम्भीर है। राज्य की सरकार वहां के दंगाइयों को काबू करने में, उन्हें रोकने में पूरी तरह विफल रही है। सरकार दंगे को रोक नहीं पाई। आज तीन दिन हो चुके हैं, लेकिन वहां की राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि इस दंगे के बारे में भारत सरकार की ओर से भी कोई बयान नहीं दिया गया। जब कि सत्र चल रहा है, सदन चल रहा है। मुम्बई में इतना बड़ा दंगा हुआ है। मुम्बई हमारी आर्थिक राजधानी है, मुम्बई में जो भी होता है, उसके परिणाम सारे देश में होते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार की ओर से स्वयं गृह मंत्री को यहां बयान देने की आवश्यकता थी। लेकिन आज तक भारत सरकार की ओर से इस सदन में कोई बयान नहीं दिया गया। वे लोग केवल पुलिस पर हमला करके ही नहीं रुके, बल्कि वहां जो महिला पुलिस कर्मचारी थीं, उन्होंने उनके साथ भी छेड़छाड़ की। वहां स्वतंत्रता ज्योति का जो स्टेच्यू था, उसे ध्वस्त कर दिया गया। एक तरह से पूरी मुम्बई में आज भय का माहौल है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को इस मामले में दखल देने की आवश्यकता है तथा जो वास्तविकता है, उस पर भारत सरकार को सदन में बयान देने की आवश्यकता है।

महोदया, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने आशंका जताई है कि इसमें शायद कुछ विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। आज पुलिस की ओर से यह बयान आने लगा है कि इसके पीछे अंडरवर्ल्ड है। यदि इसमें अंडरवर्ल्ड शामिल है तो हमारी महाराष्ट्र की पुलिस और सरकार

क्या कर रही है। मुम्बई के आजाद मैदान में पचास हजार दंगाई जुटे, जिन्होंने वहां दंगा किया। इतनी बड़ी संख्या में उन्हें वहां जुटने की इजाजत किसने दी, परमीशन किसने दी। क्या हमारी आईबी को इसके बारे में पहले से जानकारी थी या नहीं थी। अब पुलिस की ओर से यह बयान आ रहा है कि वहां जो दंगाई आये थे, वे अपने साथ में पत्थर लाये थे, वे साथ में पेट्रोल लाये थे, वे साथ में हाकी स्टिक्स, क्रिकेट के बैट्स आदि चीजें लाये थे। जब इतने प्रीप्लान्ड और वैलप्लान्ड वे में यदि पचास हजार की संख्या में दंगाई मुम्बई में दंगा करते हैं और हमारी सरकार को उसकी कोई जानकारी न हो, आईबी को कोई जानकारी न हो तो यह मामला बहुत गम्भीर है। मुझे आश्चर्य होता है कि जो मुम्बई का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद हैं, वहां मुम्बई जल रही थी, मुम्बई को जलाया गया, लेकिन मुम्बई का एक भी सांसद उसके खिलाफ सदन में बोल नहीं रहा है, यह बड़े अफसोस की बात है। मुम्बई के लोक प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से असफल है। भारत सरकार हाथ पर धरे हुए खामोश बैठी हुई है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात पूरी हो गई है, अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते: गृह मंत्री दिल्ली में हैं। ...(व्यवधान) गृह मंत्री की ओर से बयान आने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई है, अब आप बैठ जाइए। यह कोई बात नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्याक्षा जी, सरकार को इस पर बयान देने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते: गृह मंत्री को इस पर बयान देने की आवश्यकता है।...(व्यवधान) जिन दंगाखोरों ने मुंबई में दंगा किया है ...(व्यवधान) उनके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Nothing else will go in record.

*(Interruptions)**

MADAM SPEAKER: Shri Shivkumar Udasi, Shri Rajendra Agarwal, Shri Devji M. Patel, Dr. Sanjay Jaiswal, Shri Virendra Kumar and Shri Ramesh Vishwanath

---

* Not recorded

Katti may be allowed to associate themselves with the matter raised by Shri Anant Gangaram Geete.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): मैडम, पिछले शनिवार को मुंबई में जो हिंसा भड़की, वह शर्मनाक भी है और दर्दनाक भी है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर रज़ा अकैडमी ने मुंबई पुलिस से परमिशन मांगी थी। परमिशन मांगना कोई गुनाह नहीं है। विरोध प्रदर्शन करना भी कोई गुनाह नहीं है। हमारे देश में एक परंपरा रही है कि अगर पाकिस्तान में हिंदू समाज पर हमला होता है तो हमारा दिल कहीं न कहीं आहत होता है और हम उसके खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करते हैं। शांति पूर्वक अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, सभ्यता के साथ अपनी बात रखते हैं। अगर अमेरिका में सिखों पर हमला होता है तो उस पर भी हमारी भावनाएं भड़कती हैं और हम अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कोकराझार में ...(व्यवधान) मैं कहां आपके खिलाफ़ हूँ? ...(व्यवधान) मैं कहां आपके खिलाफ हूँ? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी बात बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: बिल्कुल उसी तरह से कोकराझार में और मयंमार में मुस्लिम समाज पर जो हमला हुआ। ...(व्यवधान) उसके प्रति क्रोध प्रकट करने के लिए ...(व्यवधान) शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का आयोजन आज़ाद मैदान में किया गया था। आम तौर पर रज़ा अकैडमी इस प्रकार के आयोजन करती रहती है। रज़ा अकैडमी के बार में जितनी जानकारी मुझे है ...(व्यवधान) और पुलिस के पास जितनी जानकारी है ...(व्यवधान) एक-डेढ़ हज़ार से ज्यादा लोग जमा नहीं होते हैं। ...(व्यवधान) उन्होंने खुद भी कहा था एक-डेढ़ हज़ार लोग आज़ाद मैदान पर आएंगे। फिर अचानक, पूरी सभा हुई, शांतिपूर्वक पूरी सभा संपन्न हुई। कई पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर भी गए थे। हमारी सरकार एक-दो मंत्री भी वहां पर गए थे। रज़ा अकैडमी के अध्यक्षों ने ...(व्यवधान) सभी ने अपनी-अपनी बात कही। ...(व्यवधान) शांातिपूर्वक अपनी बात कही ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Nothing else will go in record.

(Interruptions) *

श्री संजय निरुपम: शांतिपूर्वक सभा खत्म होने के बाद, जब लोग जा रहे थे, तब हिंसा भड़की है। निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। खुद रज़ा अकैडमी का बयान है। रज़ा अकैडमी के प्रमुख सईद नूरी, मोईन मिंया, उन लोगों का खुद यह बयान आ रहा है कि हमें नहीं मालूम कि ये कौन से लोग

---

* Not recorded

थे। मेरी पहली मांग है कि ऐसे जो भी लोग थे, वे समाज विरोधी लोग थे, ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बहुत खुशी के साथ अपनी बात रख रहा हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने तत्काल जांच का आदेश दिया। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है और जो भी गुनहगार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि मामला सिर्फ दंगे का नहीं है। मीडिया की वैनों पर हमले किए गए, पुलिस की गाड़ियों पर हमले किए गए, लगभग 44 पुलिस वाले घायल हुए हैं। ...(व्यवधान) उसके बाद जिस प्रकार से हमारे शहीद स्मारक को तोड़ा गया है, वह सिर्फ दंगा या हिंसा नहीं, कहीं न कहीं राष्ट्र की भावना के साथ खिलवाड़ा किया गया है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में, पूरी कार्रवाई में कहीं ऐसा न हो कि पुलिस बेगुनाहों के खिलाफ काम करना शुरू कर दे। ...(व्यवधान) मुझे एक ऐसी जानकारी मिली ...(व्यवधान) एक ऐसी जानकारी आ रही है कि शायद कुर्ला की कोई संस्था थी। उस संस्था के लोगों ने इस प्रकार की तोड़-फोड़ में हिस्सा लिया है। अगर कोई संस्था है, ऐसे लोग हैं, तो उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई कीजिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुर्ला का हर मुसलमान दंगाई माना जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मुंबई के हर मुसलमान के खिलाफ़ आप कार्रवाई करेंगे। कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण को संवेदनशीलता के साथ हैंडल करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो दंगाई थे, वे यही चाहते थे कि पहले मुंबई में दंगा भड़के। उस दंगे का असर पूरे देश में जाए। उसके बाद बेगुनाह मारा जाए। बेगुनाह मुसलमान मारा जाएगा। बेगुनाह हिंदू मारा जाएगा और देश का नुकसान होगा। उन दंगाइओं की साजिश से बचने के लिए हमें भी संयम बरतना चाहिए। शासन को भी संयम बरतना चाहिए और सामना अखबार को भी संयम बरतने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) सामना में जिस प्रकार से आग उगलने वाले संपादकीय लिखे जा रहे हैं ...(व्यवधान) उससे और कुछ नहीं होगा ...(व्यवधान) मुंबई का सामाजिक ताना-बाना खराब होगा। जिस प्रकार से भड़काऊ बयान शिवसेना के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं ...(व्यवधान) उससे और कुछ नहीं होगा ...(व्यवधान) मुंबई का वातावरण दूषित होगा ...(व्यवधान) यह हम सब की जवाबदारी है कि मुंबई को बचाया जाए। ...(व्यवधान) देश को बचाया जाए। ...(व्यवधान) और पूरे प्रकरण को दंगे में कंवर्ट न होने दिया जाए। ...(व्यवधान) मेरा ऐसा आग्रह है। ...(व्यवधान) मैं भी चाहूंगा कि जितना जल्दी हो ...(व्यवधान) हमारे आदरणीय गृह मंत्री इस पूरे प्रकरण पर सदन में आ कर बयान दें ...(व्यवधान) और पूरे देश को बताएं कि कौन से लोग थे। ...(व्यवधान) उनके खिलाफ़ क्या-क्या कार्रवाई की जा रही है? ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri P.L. Punia, Shri Suresh Kanshinath Taware may be allowed to associate himself with the matter raised by Shri Sanjay Nirupam.

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): माननीय गृह मंत्री जी इस वक्त राज्य सभा में हैं। एक और विषय जो पहले वहां सूचित हुआ हुआ है, उसके लिए वे राज्य सभा में उपस्थित हैं। मैं उनसे इस बात का जिक्र करूंगा और आपसे इजाजत लेकर वे अगले कुछ दिनों में इस बात पर अपना जवाब देंगे।...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज पूरा देश बाढ़ और सूखा दोनों से ग्रसित है। आज पूरे देश में बहुत से राज्यों में, मिसाल के तौर पर उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, हिमाचल प्रदेश में और असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति है।...(व्यवधान) गुजरात में सूखा है।...(व्यवधान)

मान्यवर, बहुत से राज्यों में आज सूखे की स्थिति भी बड़ी गंभीर बनी हुयी है। आज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि कई राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश हैं, जहां सूखे की गंभीर स्थिति है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक गंभीर समस्या यह है कि वहां बाढ़ भी है और सूखा भी है। ...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): बिजली भी नहीं है।...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह: बिजली आपकी सरकार से बेहतर है।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान: बिजली कहां है?

श्री रेवती रमण सिंह: बहुत बेहतर है।

श्री दारा सिंह चौहान: बिजली की समस्या पूरे प्रदेश में है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग यह क्या कर रहे हैं? आप इधर देखकर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह: महोदया, ये बेचैन हो जाते हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कोई बेचैन नहीं है, आप इधर देखकर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान: महोदया, यह सच्चाई है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है, आपस में ऐसा क्यों कर रहे हैं? रेवती रमण सिंह जी आप इधर देखकर बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह: आपने पांच साल जो शासन किया, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है।

महोदया, आज पूरे देश में ऐसी गंभीर स्थिति बनी हुयी है। दुर्भाग्य से तमाम लोग बाढ़ से मर गए और तमाम राज्यों में, खास तौर से उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बाढ़ भी है और सूखा भी है, तमाम ऐसे प्रदेश हैं, जहां पर गंभीर स्थिति बनी हुयी है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस गंभीर समस्या पर, माननीय कृषि मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आज कृपा करके ये सदन में यह बतायें कि बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बाढ़ से निपटने के लिए ग्यारह सौ करोड़ रूपए मांगे हैं और सूखे के लिए अलग से पैकेज मांगा है।

मैं माननीय कृषि मंत्री शरद पवार जी से जानना चाहता हूं कि कृपा करके सदन को अवगत कराने की कृपा करें कि केंद्र सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है?

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, please be very brief.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, Left Parties organized five-day *dharna* from 30th July, 2012 to 3rd August, 2012 demanding Food Security Bill which was introduced in this House last year. We do not want it in that form. A fresh Food Security Bill should be brought before this House because this Bill, in the present form, will not provide food security to the entire population of our country. By introducing targeted Public Distribution System, the poor people of our country have been divided into BPL and APL. Now the proposal is to change the nomenclature from BPL and APL to priority and general. This proposed Bill also wants to divide the poor people of our country. One-fourth of our population remain hungry and they go to bed empty stomach. We have one of the highest mal-nutritioned population in the world. The hon. Prime Minister once said that it is a national shame. We have the highest number of women who are suffering from mal-nutrition.

Madam, we demand universalisation of Public Distribution System in place of Targeted Public Distribution System. The entire population should be brought under the Public Distribution System. Each family should be provided with 35 kilograms of foodgrains at Rs. 2/- per kilogram of food grains. There are some States where 30 to 35 kilograms of food grains are provided at just Rs. 1/- per kilogram of food grains. In the State of Tamil Nadu it is provided free of cost. In the proposed Food Security Bill, there is a provision of distribution of 25 kilograms of foodgrains at Rs. 3/- per kilogram has been proposed. We demand

universal Public Distribution System should be introduced. Farmers also should get remunerative prices for their grains as per the recommendations of the Swaminathan Commission. Now, the MSP being provided to farmers does not meet their production costs. The prices of fertilizers have been increased by 100 per cent. The prices of seeds and other agricultural inputs have been increased. When there is an increase of 40 per cent, the corresponding increase in MSP is just 13 per cent during the Kharif season. So, we demand that the right to food security of our people should be protected and the proposed Food Security Bill should be adequately amended. Universal Public Distribution System should be introduced and each family should be provided with 35 kilograms of foodgrains at Rs. 2/-. We demand that the poor people of our country should be provided with food security.

MADAM SPEAKER: The following hon. Members may be allowed to associate themselves with the views expressed by Shri Basudeb Acharia:

1. Shri R. Thamaraiselvan
2. Shri Maheswar Hazari
3. Shri Sk. Saidul Haque
4. Shri Shivkumar Udasi
5. Shri T.K.S.Elangovan
6. Shri Nama Nageswar Rao
7. Shri Hukumdev Narain Yadav
8. Shri P. Lingam
9. Smt. Susmita Bauri
10. Shri Nripendranath Roy
11. Shri Bhudeo Choudhary
12. Smt. Rama Devi
13. Shri Baidyanath Prasad Mahato
14. Smt. Ashwamedh Devi

SHRI P. VISWANATHAN (KANCHEEPURAM): Madam, I would like to raise a very serious issue concerning my Parliamentary constituency with regard to taking

over of the Stalasayana Perumal Temple. The take over threat of Stalasayana Perumal Temple by the Archeological Survey of India has created a lot of unrest amongst the people of Mahabalipuram and the people started their agitation in various ways. Foreseeing the threat the matter was raised by me in the Parliament under Rule 377 on 30th March, 2012 seeking redressal mechanism from the Government to avoid any kind of confrontation from the public and ASI.

On 30th April, 2012, I led a delegation of Members of Lion's Club of Mahabalipuram to point out the difficulties faced by the public to the hon. Union Minister for Culture Kumar Selja. Subsequently, I met Shri Gautam Sengupta, the Director General of ASI at his office on 16th July, 2012 and explained the seriousness of the temple take over issue and requested him to drop the matter once for all on 17th July, 2012. … (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam, I would like to associate myself with his views.

MADAM SPEAKER: You may please mention your problem.

SHRI P. VISWANATHAN: Madam, as has been pointed out by me, the Stalasayana Perumal Temple is not having any architectural value, the ASI should not be allowed to take over an the maintenance of temple should be with the Hindu Religious and Charitable Endowment Board of Tamil Nadu Government. This will honour the sentiments of the general public of Mahabalipuram and allow the public to worship without any hurdles. The ASI take over of Sri Arunachaleswar Temple in Tiruvannamalai during December, 2002 has been prevented by the agitating people of Tiruvannamalai is a classic example. In this matter, the then Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. M. Karunanidhi wrote a letter to the hon. Prime Minister requesting him to direct the ASI to give up its move. The decision to take had been reversed subsequently.

In the same way, as a Congress MP from Kancheepuram Parliamentary constituency, I appeal to the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh to

intervene in the matter and prevent the ASI take over of this temple and they should not be allowed to interfere with the religious administration.

I would also like to request you, Madam, to issue directives to the Minister of Culture, Government of India not to take over the temple which will hurt the feelings of several lakhs of Hindus in my Parliamentary constituency. ASI should not make a living temple a show piece for the foreigners by acting against the sentiments of the Hindu people.

MADAM SPEAKER: The following Members may be allowed to associate themselves with the views expressed by Shri P. Viswanathan.

1. Shri P.L.Punia
2. Shri Thol. Thirumaavalavan
3. Shri T.R.Baalu

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): अध्यक्ष महोदया, आज पूरे देश में मानसून की अनिश्चित्ता तथा किसी एरिया में सूखा और किसी एरिया में बाढ़ की समस्या है। मैं आपके माध्यम से एक गम्भीर समस्या सदन और सरकार के सामने रखना चाहता हूं। बाढ़ और सूखे का सामना देश के 60 प्रतिशत किसानों और देहात के किसान मजदूरों को करना पड रहा है। एक आसमानी संकट है और दूसरा सुल्तानी संकट है। सूखा और बाढ आसमानी संकट है। अभी सभी राज्य सरकारें इसके लिए केन्द्र सरकार से राहत मांग रही हैं।

महोदया, आदरणीय अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने बाढ़ और सूखे की समस्या मिटाने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना की शुरूआत की थी। उसका सर्वेक्षण भी किया था और उसके लिए समिति का निर्माण भी किया था। लेकिन यूपीए-1 और 2 ने नदियों को जोड़ने की योजना बंद कर दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि नदियों को जोड़ने की योजना को फिर से प्रारम्भ किया जाना चाहिए। सरकार को इस आफत, जो हमेशा भूतकाल में भी आ गई है और भविष्य में भी आएगी, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि क्लाइमेट चैंजिस की वजह से भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। इस आफ़त से निबटने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना तुरन्त शुरू कर दी जानी चाहिए।

महोदया, मेरी प्रमुख समस्या मिनीमम सपोर्ट प्राइज़ को लेकर है। मैं आदरणीय शरद पवार जी से पूछना चाहता हूं, उनके पास कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी है। एक जगह सूखा पड़ रहा है और दूसरी जगह रसायनिक खादों की कीमत बढ़ रही है, मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है, बिजली में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किसानों के मिनीमम सपोर्ट प्राइज में जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उतनी नहीं हुई है। अगर रसायनिक

खादों में दुगुनी बढ़ोतरी हुई है तो मिनीमम सपोर्ट प्राइज में भी दुगुनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ज्वार, बाजरा या किसानों के जो भी उत्पाद हैं, उनके समर्थन मूल्य में दुगुनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, यह मेरी सरकार से मांग है। आदरणीय कृषि मंत्री जी ने दस बार समिति का बहिष्कार किया है, जिसमें से नौ बार समिति का बहिष्कार किसानों को राहत मिलने के लिए किया है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि कृषि मंत्री पवार साहब की भी डिमांड है कि कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए, उसको दुगुना बढ़ाना चाहिए।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र में कस्यां-देवरिया सड़क पर रेलवे ओवरब्रिज का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। यह अपने निर्धारित समय पर पूरा नहीं हुआ है। इसमें नाहक देरी हो रही है और इसकी लागत भी बढ़ रही है जिसके कारण लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस क्रॉसिंग पर घंटों जाम लगा रहता है और रेलवे फाटक बंद होने पर भी लोग अपने दुपहिया वाहनों को निकालते हैं जिसके कारण कभी भी गंभीर घटना हो सकती है। इस निर्माणाधीन ओवरब्रिज के अगल-बगल के दुकानदारों को भी बहुत असुविधा हो रही है। जबकि इस क्षेत्र का बाजार देवरिया का सबसे बड़ा बाजार है। अगर यह ओवरब्रिज बन जाए तो इस क्रॉसिंग से आने-जाने में लोगों को बहुत सुविधा होगी और अन्य राज्यों से आने-जाने वाले वाहनों को भी सुविधा होगी। इसके साथ ही देवरिया शहर के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण अति आवश्यक है तथा कुशीनगर के फोर-लेन सड़क के देवरिया बैराज होते हुए बरहालगंज तक फोर-लेन सड़क का निर्माण कराया जाए।

इस सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि लोगों एवं दुकानदारों की परेशानी और शहर की ट्रैफिक समस्या को देखते हुए उपरोक्त ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब पूरा कराया जाए तथा देवरिया में रिंग रोड तथा कुशीनगर से देवरिया बैराज होते हुए बरहालगंज तक फोर-लेन का निर्माण कराया जाए।

अध्यक्ष महोदया : श्री कमल किशोर 'कमांडो' स्वयं को श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करते हैं।

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Madam, Lalitgiri is one of the three most important and promising Buddhist sites of Odisha. The other two Buddhist sites are Ratnagiri and Udayagiri which are jointly referred to as Diamond Buddhist Triangle by the Government of India.

Lalitgiri is the only Buddhist site in Eastern India from where the "Sacred Relics" of Tathagat Buddha were found in four relic caskets in 1986 during the excavation by ASI. The art of preservation of sacred relics at Lalitgiri Buddhist

site is unique. The relics are found in a set of four caskets. The outermost casket is made of Khandolite, inside it was a steatite casket within which was a silver casket. The innermost casket that stored the tooth of Tathagat Buddha was made of gold. All the caskets are in stupa shape. It is now under the custody of the ASI, Bhubaneshwar and kept in the strong room like any other stacked goods in an irreverent manner.

It is very unfortunate that for the last 28 years, the ASI has not taken any step to exhibit these precious relics in a befitting manner at Lalitgiri from where these relics were excavated. Several Members of Parliament including myself, over a period of time, have sent written memoranda and letters to the hon. Minister, Secretary, Tourism and Culture and DG, ASI for construction of a museum at Lalitgiri where the relics can be preserved and exhibited.

Secondly, an NGO called Buddhyana has been relentlessly fighting to bring the sacred relics to Lalitgiri.

Subsequently, due to persistent pressure, the DG, ASI and the Joint DG, ASI visited at Lalitgiri on 21st April, 2009 and 5th July, 2009 respectively to select a site for the construction of a museum. The site was even selected in the vicinity alongwith approved plan and the estimate work was completed. When we are eagerly awaiting for the construction of the museum, it is truly ironic that now, after 28 years, the ASI is discussing where to place the relics.

Lalitgiri is located at the meeting point of three districts, namely, Cuttack, Jajpur and Kendrapara. Thousands of people of these areas are sentimentally attached to the Buddhist site and it is their earnest demand that the Buddhist relics should be placed at Lalitgiri.

The followers of Mahatma Buddha who chose to place the relics at Lalitgiri Buddhist Vihar before 2500 years must have their own thinking. Should we dishonour their spirit by shifting the relics to a different place? The Government must think over it.

I also demand to include the information about the Buddhist site of Odisha in NCERT books.

MADAM SPEAKER: Shri P.L. Punia and Shri Kamal Kishor "Commando" are allowed to associate with the matter raised by Shri Mohan Jena.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, the Minister is here. There should be a response from the Minister. He is aware of the matter… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I cannot say anything about it.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि भारत सरकार से पूर्व में एनएसडीपी (राष्ट्रीय गंदी बस्ती उन्मूलन योजना) के माध्यम से गंदी एवं पिछड़ी बस्तियों के विकास हेतु शहरी विकास मंत्रालय से नियमित बजट राज्यों को मिलता था। जिससे संबंधित शहरों व नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का त्वरित विकास होता था। केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को बंद करके इस योजना के स्थान पर आईएसएचडीपी (एकीकृत मलिन बस्ती आवास योजना) प्रारम्भ की गई है, यह भी एक अच्छी योजना है। लेकिन इस योजना के स्वीकृत होने की जो प्रक्रिया है, उसमें काफी लम्बा समय लगता है। डीपीआर तैयार होकर स्वीकृति प्रस्ताव आने में ही कई महीने लग जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से इस संबंध में अनुरोध है कि यह योजना अपनी जगह काम करती रहे, लेकिन एनएसडीपी (राष्ट्रीय गंदी बस्ती उन्मूलन योजना) के तहत् शहरी क्षेत्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के त्वरित निराकरण के लिए सरकार से पूर्व की भांति नियमित बजट संबंधित जिले के कलेक्टर (शहरी विकास) को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे कि गंदी एवं पिछड़ी बस्तियों का सतत् विकास जारी रहे।

अंत में मैं अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत राजगढ़, सारंगपुर सहित अन्य उन नगरीय निकायों की जल आवर्धन संबंधी योजना एवं यूआईडीएसएसएमटी तथा आईएसएचडीपी के काफी समय से लम्बित प्रस्तावों को अविलम्ब स्वीकृति के लिए भी सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह उन लम्बित प्रस्तावित योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया: श्री पी.एल. पुनिया और श्री कमल किशोर कमांडो श्री नारायणसिंह अमलाबे जी के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप: अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। गत दिनों पांच अगस्त को गितिका शर्मा नाम की एक युवती दिल्ली स्थित अपने निवास स्थान पर एक पंखे से लटकी पाई गई, जो कि मृत घोषित की गई। इसी स्थान पर उक्त महिला एमडीएलआर एयरलाइंस में पूर्व में एयर होस्टेस के पद पर कार्यरत थी। इसके द्वारा एक हस्त लिखित सूसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है। जिसमें उसने लिखा कि एमडीएलआर के मालिक और हरियाणा के गृह मंत्री पद पर रहे...(व्यवधान)* तथा एक अन्य महिला अधिकारी उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं। उसने अपने इस सूसाइड नोट में यह भी लिखा कि...(व्यवधान) *...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप नाम मत लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कश्यप: उसने अपने सूसाइड नोट में लिखा कि इस व्यक्ति ने मेरी जिन्दगी बर्बाद कर दी। मेरी मौत के लिए वही जिम्मेदार हैं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Do not argue.

...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कश्यप: मैडम, ये उसके सूसाइड नोट में लिखा है। उसमें यह भी लिखा है कि...(व्यवधान) * विश्वास के लायक नहीं, जो मेरे साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ न हो, इसलिए यह कदम उठाया।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। क्या हो गया?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, हम सुन रहे हैं। Give him a chance. You please sit down.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Why are you always challenging what I say? Why do you always argue?

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, हम भी कुछ कह रहे हैं न। अनुराग जी, आप भी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded

MADAM SPEAKER: Why are you trying to disturb your own party Member? You are disturbing your own party Member.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। रिकार्ड में कुछ और नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

MADAM SPEAKER: Then, I will call the next Member. Shri Yashwant Sinha.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: ये तो कोई बात नहीं हुई।

श्री वीरेन्द्र कश्यप: मैडम, मुझे दो मिनट का समय दे दीजिए, मैं अपनी पूरी बात कह दूं। उक्त शब्दों से साफ-साफ मालूम होता है कि जिस तरह से मानसिक तौर से.* जो कि इतने ऊंचे पद पर तैनात रहा हो, किस प्रकार से एक साधारण परिवार की महिला को मानसिक तौर से प्रताड़ित कर उस पर दबाव बना रहा था। जिस कारण उक्त महिला को अपनी जान ही गंवा देनी पड़ी। हालांकि उक्त मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, परन्तु केवल इस्तीफा दे देना ही काफी नहीं है। उसे तुरंत पुलिस के पास जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि यह खेद का विषय है कि..*. आज पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसे अनियंत्रित घोषित किया गया है। इसमें दिल्ली पुलिस की भी मिलीभगत लग रही है। जिसके खिलाफ आईपीसी की कई धाराएं दाखिल हो चुकी हों, उसे खुला छोड़ कर रखा, कई दिनों तक उसे गिरफ्तार नहीं किया। इसी प्रकार हरियाणा सरकार की पुलिस इस मामले में....*. को बचाने में लगी हुई है। आज इस प्रकरण के बारे में जिस प्रकार की जानकारियां मीडिया में आ रही हैं, वे बहुत भयावह हैं। इससे लगता है कि एक मंत्री, जो हरियाणा सरकार में गृह मंत्री हो, वह इस तरह का कुकृत्य कर रहा हो और सरकार बिल्कुल अनभिज्ञ हो, यह देखने वाली बात है।

अतः मेरी केन्द्रीय सरकार से मांग है कि * को तुरन्त गिरफ्तार किया जाये, ताकि गीतिका के परिवार को न्याय मिल सके और वास्तविक स्थिति जनता के सामने आ सके।

मैंने अपनी बात आपके सामने रखी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री रमेन डेका, श्री अनुराग सिंह ठाकुर और श्री पन्ना लाल पूनिया को श्री वीरेन्द्र कश्यप के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

---

* Not recorded

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): महोदया, मैंने अपने जीवन के 6 वर्ष पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में व्यतीत किये हैं और दो वर्षों तक मैं उसी विश्वविद्यालय में शिक्षक भी था। इसलिए उस सम्बन्ध के आधार पर मेरा यह अधिकार बनता है कि मैं पटना विश्वविद्यालय की बात यहां पर उठाऊं।

पटना विश्वविद्यालय की आज के दिन बात क्या है, पटना विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और बहुत दिनों से वहां एक मांग चली आ रही है कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाये, उसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाये। लेकिन इस इतने पुराने विश्वविद्यालय को, जिसकी पूरे देश में अपनी एक श्रेष्ठ ख्याति रही है, उसको अभी तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिणत नहीं किया गया है। अभी हाल में पटना में एक महा-धरना हुआ था, मुझे भी उसमें लोगों ने आमंत्रित किया था, मैं भी एक पूर्व छात्र और शिक्षक के नाते उसमें गया था। मैंने देखा कि पटना विश्वविद्यालय को सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आन्दोलन वहां पर चल रहा है।

अभी हाल में बिहार में मोतिहारी में और गया में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। वह एक बहुत अच्छी बात है कि वहां दोनों जगह केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं, लेकिन अनेक ऐसे प्रदेश हैं, जिनमें तीन या चार केन्द्रीय विश्वविद्यालय पहले से ही स्थापित हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि बिहार के साथ अन्याय होगा, पटना विश्वविद्यालय के साथ अन्याय होगा, अगर इसी मौके पर, जब यह बिल संसद में आता है तो उसमें पटना विश्वविद्यालय को भी नहीं शामिल किया जाता है।

मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से यह एक बहुत जोरदार मांग है कि इन सब बातों को देखते हुए उन्हें पटना विश्वविद्यालय को भी उस विधेयक में शामिल करना चाहिए और बिहार में तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनें, इसकी व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए और वहां जो एक जोरदार मांग है, उस मांग को उनको पूरा करना चाहिए।

यही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : श्री मंगनी लाल मंडल, श्री भूदेव चौधरी, श्री महेश्वर हजारी और श्री पन्ना लाल पूनिया को श्री यशवंत सिन्हा के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह। ठीक है, अब आपकी बारी है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): इलाहाबाद और पटना, दोनों की मांग एक साथ थी। इलाहाबाद हो गया...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आपकी बारी है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह अन्याय है और राज्य सरकार जमीन देने से भाग रही है, इसलिए पटना विश्वविद्यालय की उचित मांग पूरी नहीं हो रही है। इसमें पटना विश्वविद्यालय...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइये। अब आपकी जीरो ऑवर की बारी है, आप कुछ और बोले जा रहे हैं। खड़े होकर बोलिये, आपकी बारी है, आपने जो विषय दिया है, उसे बोलिये। गंगा और यमुना की सफाई से सम्बन्धित विषय आपने शून्य प्रहर में उठाया है, आप उस पर बोलिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: वह मैंने दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले पटना का आ गया, उसका भी हमने समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया: अब बोलिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, हिन्दुस्तान में हजारों नदियां हैं। वे केवल जल की धारा नहीं हैं, जीवन की धारा हैं। नदियों से हमारे देश की संस्कृति जुड़ी हुई है। खास करके भारत सरकार ने 40 नदियों को सफाई और पर्यावरण के दृष्टिकोण से चुना है, लेकिन गंगा, यमुना, गोदावरी, ये सब नदियां, जो लोग कहते हैं कि नदियों के किनारे जंगल उगते हैं, नहीं-नहीं, महोदया, गंगा नदी, यमुना नदी के किनारे सभ्यता-संस्कृति उगी हुई है। दुनिया में नदियों के किनारे पर जंगल उगते हैं, यहां संस्कृति उगी हुई है। तमाम शहर इनके किनारे बसे हुए हैं। गंगोत्री से लेकर नीचे गंगासागर तक और यमुनोत्री से लेकर दिल्ली, मथुरा सारी जगहों पर शहरों का कचरा नदियों में डाला जाता है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था, हालांकि लोग मुझे अधर्मी कहते हैं, मतलब वह अनिश्वरवादी थे, नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में नदियां साफ करो, कार्यक्रम होना चाहिए। जहां पर लाखों-करोड़ लोग साल में जाते हैं, लाखों लोग जिन तीर्थों में जुटते हैं, उनकी सफाई व आने-जाने की व्यवस्था सही होनी चाहिए। जैसे हमारा पहाड़ी प्रदेश है, अमरनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, वहां सौ यात्री मर गए, भारत सरकार ने क्या किया, क्या जवाब दिया है? अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और वहां एक लाक्षागृह है, रास्ते में हमने देखा, वहां चमकीले महादेव हैं, चारों तरफ वहां ट्राइबल्स हैं। वहां कोई इंतजाम नहीं है, जबकि लाखामंडल रास्ते में है।

गंगा जी को राष्ट्रीय नदी सरकार ने घोषित किया है, तो यमुना नदी को क्यों छोड़ दिया? गंगा-यमुना का संगम है। यूपी के इलाहाबाद में कुंभ आने वाला है। लाखों श्रद्धालु देश भर से वहां जुटेंगे। सुना है कि गंगा प्राधिकर बना है। यमुना प्राधिकरण क्यों नहीं बना? यहां यमुना के किनारे देश की राजधानी है, वहां मथुरा कृष्ण भगवान का स्थल है, सब जगह यमुना नर्क की तरह है। गंगा, युमना की यह दुर्दशा है। एक स्वामी शिवानन्द अनशन कर रहे हैं, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, उनके शिष्य निगमानंद 100 दिन के बाद शहीद हो गए, लेकिन यहां सवाल भी नहीं उठा। यह कैसी स्थिति है? हम भारत सरकार से जानना चाहते हैं कि गंगा, यमुना और इस तरह की नदियों की सफाई का, उनका कचरा रोकने का, उसमें जो दाह-संस्कार होते हैं, उसकी कैसे सफाई हो, इसकी सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

दूसरा, जो यह तिरखलोक तीर्थ है, जहां लाखों लोग हर साल जाते हैं, वहां जाने-आने और सफाई का क्या प्रबंध है? हमारे यहां वैष्णो देवी में बहुत अच्छी व्यवस्था है। लोग कहते हैं कि हर जगह वैष्णो देवी की तरह व्यवस्था हो। इसलिए उन पहाड़ी प्रदेशों के अंदर जो हमारे तीर्थ हैं, जहां पर लाखों-करोड़ लोग हर साल आते-जाते हैं, उनके प्रति लोगों के मन में श्रद्धा है। जो लोग वहां जुटते हैं, वे तकलीफ पाते हैं। इसलिए जैसे वैष्णो देवी की व्यवस्था है, उसी तरह से बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम, अमरनाथ, पांचों तीर्थस्थल और लाखा मंडल इन सबका विकास हो, वहां आने-जाने की व्यवस्था हो और गंगा, यमुना और गोदावरी की सफाई हो। ...(व्यवधान) स्वयं सच्चिदानन्द वहां गंगा जी की आरती उतारते हैं। सभी साधु-संतो से, राज्य सरकारों से, एनजीओ से और भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि सब मिलकर के नदियां साफ करो और तीर्थ स्थानों पर सफाई और यात्रियों के आने-जाने, ठहरने का उचित प्रबंध हो, यही मुझे कहना है।

अध्यक्ष महोदया : श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री सतपाल महाराज, श्री उमाशंकर सिंह, श्री इज्यराज सिंह, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री कपिल मुनि करवारिया, श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी और श्री कमल किशोर 'कमांडो' अपने आपको श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्षा महोदया, मैं सदन और आपसे विनती करना चाहता हूं। रेल की जो हालत है, वह बहुत ही जर्जर है। उसकी हालत इतनी जर्जर है कि रेल के कितने एक्सीडेंट्स के बारे में याद करें, यह मुश्किल हो गया है। ...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): रेल में मौत का खेल है।

श्री शरद यादव: मौत का नहीं, सब तरह से ...(व्यवधान) मैं आपके सवाल पर भी आऊंगा। ...(व्यवधान) अभी नहीं, जब वक्त आएगा, तब इस पर आऊंगा। मेरी विनती यह है कि इस देश में तीन मंत्रालय हैं, वैसे

तो चार-पांच हैं, लेकिन तीन मुख्य हैं। फौज का विभाग, आईटी विभाग और रेल विभाग महत्वपूर्ण विभाग हैं। हिन्दुस्तान की जनता की सेवा करने वाला रेल से बड़ा कोई दूसरा विभाग नहीं है। रेल की जो दुर्दशा है और रेल की दुर्घटनाएं हैं, उनको पूरी तरह से सदन से लेकर बाहर तक लोगों ने मान लिया कि इसमें बैठना जोखिम भरा है। ट्रेन इतनी बुरी हालत में है कि मैं आप से क्या बयान करूं। सात वर्ष से इसका किराया नहीं बढ़ा, अजीब बात है। कैसे रेल जो कम चारा खाए, ज्यादा दूध दे और ज्यादा गोबर दे, यह हालत है। 24 घंटे बैठ कर विभाग चलाने की जरूरत है। जो मंत्री साहब हैं, वह यहां नहीं है, उनकी मुश्किल है। ...(व्यवधान) मैं आप से विनती करता हूं कि रेल से ज्यादा सावधानी बरतने वाला कोई विभाग नहीं है। 24 घंटे भी इसके लिए कम पड़ता है। यह दो करोड़ लोगों को रोज ले कर चलती है। हिन्दुस्तान में ट्रेन बड़ी अद्‌भूत चीज है। आज उसकी ऐसी दुर्दशा है कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं, पवन बंसल जी चले गए हैं। ...(व्यवधान) वह यहां होते तो यह उनका काम है। उन्हें कोई काम होगा। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो हालत रेल की है, उसमें सब तरह की दिक्कत और किल्लत के बाद भी रेल पर तत्काल भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। रेल मंत्री से मेरी विनती है कि इस पार्लियामेंट में वह जो बात बोलते हैं उन बातों पर वह टिके नहीं रहते हैं। ...(व्यवधान) मैं यही कह रहा हूं कि जो रेल विभाग है उसके लिए मेरी विनती है और ममता जी से भी यहां अपील करना चाहता हूं कि उनको शनिवार और रविवार के दिन बुला लें या उन्हें किसी एक दिन बुला लें और बाकी समय उन्हें यहीं रहने दें। ...(व्यवधान) आप कितनी बार बोलेंगे। ...(व्यवधान) मैं आप से निवेदन करता हूं कि जो हालत रेल की है उस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ट्रैक किसी ऊपर या नीचे वाले पर नहीं चलता है। ट्रैक की मरम्मत लगातार होती है। यहां चौकसी लगातार होती है और ट्रैक बहुत खराब है। हमने कई तरह के उपाय सुझाए हैं, बोले हैं, कठिनाई की हैं, सपने देखें हैं लेकिन वह जमीन पर नहीं उतरे हैं। मैं कहूंगा कि मैं कोसी के इलाके से हूं। आज आठ-नौ वर्ष हो रहे हैं वहां लाइन की पटरियां सिर्फ चालीस किलोमीटर बन पाई है, उखड़ गई थी। पुल टूट गए थे। गोंदिया और जबलपुर की लाइन छोटी लाइन है। लंबा समय हो गया है। मंत्री जी से मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सौ करोड़ रूपये देंगे। वहां के एमपी बोल रहे थे कि साहब पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि सदन में कहने के बाद, इस बात से मुकरना नहीं चाहिए। मैं मानता हूं कि साधनों की कमी है। लेकिन कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनके साथ मौत जुड़ी रहती है, लोगों का जीवन जुड़ा रहता है। रेल ऐसी ही जगह है, ऐसा ही मामला है। आज सूखा है, बाढ़ है, रेल ही बड़ी मदद करेगी। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से कहूंगा, उन्हें खबर कर दीजिए, हम रोज सुबह-शाम उन्हें याद करते हैं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्री पन्ना लाल पुनिया और श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण अपने आपको श्री शरद यादव के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

SHRI SURESH ANGADI (BELGAUM): Madam Speaker, I would like to raise a matter of urgent public importance pertaining to lack of proper treatment facilities for kidney disease patients in the country.

Madam, in our country millions of people are suffering from chronic kidney disease. Lakhs of people die for want of proper dialysis care. The available data suggests that dialysis machines presently available are enough to cater to only 20 per cent of the suffering population. It is reported that around 8 lakh Indians are found to be in dire need of dialysis care at any point of time. But, unfortunately, about 20,000 of them are only lucky enough to have access to dialysis care. Thus, it is needless to say that our country is facing acute shortage of dialysis machines and private hospitals provide this treatment at very exorbitant costs which poor and middle class patients cannot afford. This results in considerable increase in the mortality rate of the suffering patients.

Hence, I urge upon the Health Ministry to urgently formulate plans for setting up at least one Dialysis Care Centre in each of the District Headquarters of all the States. I would also request to include my Parliamentary Constituency, Belgaum which is a district headquarters in Karnataka for providing this facility with appointment of trained doctors to be available there round-the-clock so as to provide this service free of cost or at a minimal cost to the poor and the needy patients.

Meanwhile, I would also urge the hon. Prime Minister also to include the provision of providing financial assistance to the treatment of chronic kidney disease too under the purview of Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF) besides cancer and heart ailments for which the financial assistance is now provided.

SHRI RAMESH VISHWANATH KATTI (CHIKKODI): Madam Speaker, I would like to associate myself with the matter raised by Shri Suresh Angadi.

13.00 hrs

*DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): As a consequence of the unfortunate incident that took place in Assam, we are now experiencing sporadic violent incidents in many parts of the country, particularly in Maharashtra. Students and people from the North-East are attacked without any rhyme or reason. Not only in Maharashtra, we have seen such incidents taking place in Andhra Pradesh and Kerala. If such things are not controlled immediately, they may spark bigger problems throughout the country. I would like to bring to your notice that some anti-social elements used very obnoxious language and I would also like to quote it here, "Don't leave any Chinki" that means not to leave any person with Mongoloid features. In fact, people from North-Eastern States including Sikkim who are living in other parts of the country face a lot of problems. One boy who hails from my constituency is studying in Pune College and he works at night in a shoe factory and when he came back from his work at night he was surrounded by some anti-social elements and enquired whether he is from Assam; before he could reply he was beaten up so badly and he is still in hospital. In another incident a man who came back from his work at around 10 pm, he was also beaten up severely. Some few days back, in Kerala, two Assamese labourers who were trying to board a Guwahati bound train at Ernakulam Junction were attacked by a mob and they were seriously injured.

Keeping in view such incidents, I would like to draw the attention of the Union Government particularly the Home Ministry to look into such sensitive matters and take up appropriate measures not to repeat such untoward incidents. I urge upon the Union Home Minister to send an advisory to all the concerned States to take up all the necessary steps in providing security to the people of North-East residing in their States. I hope the Union Home Minister and the Chief

* English translation of the speech originally delivered in Manipuri

Ministers of the North-Eastern States will take up the matter with the concerned State Governments.

In addition, I would like to request to all the Hon. Members of this august House to look into this sensitive issue and do whatever they can to maintain peace and normalcy in their respective constituencies. I also urge upon the Union Government to impress upon the state home ministers to remain alert to this sensitive situation.

There are about ten thousand people from my State in Mumbai and about eight thousand people in Pune and another thousand in Hyderabad. Many people from our region are residing in almost every part of this vast country. We need to ensure safety and security to all the citizens of this country including those who are from the North-East.

A well known person perhaps not knowingly twitted that "Mary Com the Bronze Medalist is from Assam". But in fact, she is from Manipur. We need to know one another and understand one another. The people of this great country much know the history, geography and culture of their own. Perhaps, it is high time to include the history, geography and culture of North-Eastern States in the curriculum of our schools throughout the country so that we know them in proper perspective. In fact, such a move will help us to strengthen the Nation, its unity and integrity. Last but not the least, we are all Indians first and later we are Manipuris, Marathis, Punjabi, Tamils, Assamese, *etc.* Thank you, Madam for giving me this opportunity.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I would like to associate with the matter raised by Dr. Meinya.

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मै आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मध्यप्रदेश राज्य की जबलपुर छावनी में करीब 500 परिवारों की कृषि भूमि, जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के किसानों की है। जबलपुर छावनी द्वारा रक्षा भूमि के नाम पर आवश्यकता बताकर किसानों को भरी बरसात में भूमि से बेदखल किया जा रहा

है। छावनी के किसान विगत् 200 वर्षों से लगातार अपने पूर्वजों के जमाने से कृषि कार्य कर अपनी जीविका का उपार्जन करते चले आ रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के कारण, कृषकों की भूमि बिना किसी मुआवजे का भुगतान किए, कैंट प्रशासन द्वारा अधिगृहित कर ली गयी एवं किसानों को कृषि भूमि के पट्टे दे दिये गये, जिस पर प्रारंभ से ही कृषक अपनी भूमि का क्रय-विक्रय कर सकते थे।

सन् 1930 में सम्पदा अधिकारी जबलपुर की स्थापना हुई, जिससे सन् 1924 का कैंट एक्ट प्रभावशाली हुआ। सैक्शन 280, कैंटोनमैंट बोर्ड एक्ट 1924 की कैंटोनमैंट अथारिटी के अनुसार यह व्यवस्था दी गयी कि यदि कोई कृषि भूमि अधिगृहित की जाती है, तो भूमि, मकान, कुंआ एवं फसल आदि का उचित मुआवजा दिया जायेगा।

दिनांक 19.02.1991 को रक्षा मंत्रालय के पत्र के जवाब में जबलपुर सैन्य सम्पदा अधिकारी ने सैन्य भूमि का जो विवरण प्रेषित किया है, उसमें 1752 एकड़ भूमि मुख्य प्रयोजन हेतु अतिरिक्त बतायी गयी है, जिससे सुरक्षा भूमि के नाम पर कृषकों की उपजाऊ भूमि लिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 9.11.1989 के एक निर्णय के अनुसार कृषकों को उनकी भूमि से बेदखल न किये जाने संबंधी पत्र रक्षा सम्पदा अधिकारी जबलपुर को लिखित में निर्देश दिये गये हैं। जबलपुर छावनी क्षेत्र में किसानों की जमीन मिलिट्री के चारों तरफ सिविल क्षेत्र की आबादी से लगी हुई है। छावनी क्षेत्र के समस्त किसानों की लगभग 160 एकड़ जमीन है तथा मध्य प्रदेश शासन के सुरक्षा विभाग के पास 323.49 एकड़ भूमि किराये पर है। यदि 323.49 एकड़ भूमि से राज्य शासन द्वारा 160 एकड़ जमीन मिलिट्री को स्थानान्तरित कर दी जाती है, तो छावनी क्षेत्र के किसानों की कृषि भूमि का स्थायी समाधान हमेशा के लिए हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि गरीब, दलितों को बरसात के मौसम में बेदखल न कर उनका मेरे द्वारा वर्णित उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए स्थायी समाधान करवाने की कृपा करें।

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

<u>13.05 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

14.04 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Four Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within twenty minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table

(i) Need to declare 15th July, the birthday of Shri K. Kamaraj as 'National Day' befitting his status, linking it with Mid-day Meal Scheme, throughout the country

SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): In our great country, we have been celebrating time and again the birth and memories of our iconic leaders to honour their birth and yeoman services. This is invariably being done to recall and remember their selfless services and supreme sacrifices to the nation.

The birth anniversary of the Father of the Nation Mahatma Gandhiji is being celebrated as then on-violence day throughout the world. The birth day of Pandit Jawaharlal Nehru is honoured as the Children's Day. Former President Sarvapalli Radhakrishnan, a philosopher and professor, is commemorated as Teacher's Day.

Shri K. Kamaraj the National Leader has pioneered 900 new elementary schools and introduced the mid-day meals scheme in schools in Tamil Nadu when he was the Chief Minister during 1954-1963. This scheme has increasingly enabled and encouraged the number of children to attend schools by way of incentives as their food need is duly taken care of by the State. Shri K.Kamaraj was instrumental for choosing successive titanic Prime Ministers, Shri Lal Bahadur Shastri and Madam Indira Gandhi.

The Union Government under this mid-day meals scheme provides 10.52 crore children hot-cooked and healthy meals in 12.18 lakh elementary schools across the length and breadth of the country.

In Tamil Nadu, the State government has declared July 15th the Birth Day of Shri K. Kamaraj as Education Development Day. May I therefore urge upon the Government of India and propose it with all humility to honour the memory of this illustrious son of India by celebrating 15th July as National Day befitting his status linking it with the Mid-day-Meal Scheme throughout the country.

(ii) Need to expedite Nemmeli de-salination Plant and accord approval for another plant at Pattipulam village in Kancheepuram Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

SHRI P. VISWANATHAN (KANCHEEPURAM): To provide safe drinking water and to overcome the water shortage for Chennai City and its suburban areas, the Government of India has sanctioned a sum of Rs. 871.24 crore for the desalination plant which is being set up at Nemmeli in my Parliamentary Constituency. The Nemmeli plan is estimated to supply 100 million litres of water per day. For setting up of this plant, an extent of 40.05 acres of land belonging to coastal villages of Nemmeli and Krishnankarani has been allotted and it was reported that 83% of work has been completed. 265 MLD of raw water from sea is to be drawn by gravity by laying 1600 mm diameter HDPE pipes for a length of 1042 meter and after treatment adopting reverse osmosis 100 MLD desalinated water would be produced. The rejected water is to be discharged into the sea by laying 1200 mm diameter HDPE pipeline for a length of 754 meter.

The long pending process of laying a pipeline to draw water from the sea to be treated at the upcoming desalination plant at Nemmeli has been completed. The work relating to construction of intake chamber, reverse osmosis, erection of mechanical and electrical equipments are pending. The plant is expected to be commissioned by September, 2012. The Government should clear the 3rd desalination plant at Pattipulam village along ECR and also to speed up the project of Nemmeli. Pattipulam plant will guarantee water supply to the IT corridor.

I request the Hon'ble Water Resources Minister to approve the Pattipulam project and also request him to provide job opportunities to the villagers who provided land and other poor people in and around the area of the project.

(iii) Need to implement Sabari Rail Project as a Central Government scheme

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): I request the Government to take urgent action to implement Sabari Rail Project. As per the design, Sabari Rail is a Rs. 1600 crore project and half of the amount should be borne by the State Government of Kerala. As the State Government is not in a position to bear its share, implementation of Sabari Rail Project is being delayed for this reason.

Sabarimala Pilgrimage is unique in the country for many reasons. Around four crore devotees of Lord Ayyappa undertake pilgrimage to the Sabarimala Shrine every year. Overwhelming majority of devotees is coming from outside Kerala including North Indian States. Another reason behind the pilgrimage to Sabarimala is its promotion of communal harmony. At present, there is no railway line to connect devotees with the Sabarimala Shrine.

Therefore, I request the Government to implement Sabari Rail Project as a special case as Central Government's fully funded Scheme.

(iv) Need to give environmental clearance to Srinagar hydro-electric project in Uttarakhand

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : मैं हाल ही में उत्तरी ग्रिड फेल होने की ओर आपका घ्यान दिलाना चाहता हूँ। इस ग्रिड के फेल होते ही 9 राज्यों में अंधेरा छा गया। दिल्ली की मैट्रो रूक गई। रेलगाड़ियां जहां-तहां रूक गई, अस्पतालों में जरूरी ऑपरेशन टल गये, लोग बिना बिजली, बिना पानी भी हो गये तथा हवाई यात्रा भी रूक गई। ऐसे में ऊर्जा आवश्यकता का बोध होता है कि यह कितनी जरूरी है। उत्तराखण्ड सहित कई राज्यों में आज भी 10-10 घण्टे बिजली की कटौती होती है। जिस राज्य को ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित किया जाना था, आज वहाँ 90 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी जल विद्युत परियोजनाओं को रोक दिया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है उसे सेक्शन-5 लगा कर रोक दिया गया है। इसी प्रकार अन्य कई परियोजनाएं हैं जो कि 50 प्रतिशत से ऊपर बन चुकी हैं, उन्हें भी सेक्शन-5 से रोक दिया गया है। आज समय की मांग है कि इन परियोजनाओं पर से सेक्शन-5 हटाकर इन्हें पूरा कर इनसे विद्युत उत्पादन किया जाये। उत्तराखण्ड राज्य जल विद्युत की अपार संभावना रखता है जो कि भविष्य में ऊर्जा के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। ऐसे में इस प्रकार परियोजनाओं को रोका जाना राज्य के साथ-साथ राष्ट्र विकास को भी प्रभावित करता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं पर से सेक्शन-5 हटवाया जाये, जिससे इन परियोजनाओं से राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके साथ ही स्थानीय हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके।

(v) Need to provide adequate water for irrigation to Bharatpur in Rajasthan

श्री रतन सिंह (भरतपुर) राज्यों के मध्य हुए अनुबंधों के अनुरूप जो पानी राजस्थान एवं भरतपुर जिले को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है और हर वर्ष मिलने वाला पानी कम होता जा रहा है। भरतपुर को अनुबंध के आधार पर जो गुड़गांव कैनाल से पानी मिलना चाहिए, उसका आधे से कम केवल 48 प्रतिशत पानी मिल रहा है एवं यमुना जल से सीजनल आवंटन की पानी की मात्रा हर साल घट रही है। जबकि केन्द्र सरकार जानती है कि राजस्थान में पानी का काफी अभाव है एवं अन्य राज्यों से पानी की आपूर्ति से खेतीबाड़ी की सिंचाई हो सकती है। भरतपुर को पानी उपलब्ध करने के लिए दूसरी नहर का निर्माण कराया जाए। इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग संबंधित राज्यों के साथ शीघ्र करवाया जाये। इस पानी में से नहर द्वारा लिफ्ट सिस्टम से सीकरी बांध में भी पानी डाला जाये एवं सिंचाई हेतु दूसरी ओर नहर का निर्माण करवाया जाये। राजस्थान राज्य एवं भरतपुर जले अनुबंध के आधार पर पानी का हिस्सा दिलवाने हेतु कई बैठकें वं विभिन्न स्तरों पर प्रयास राजस्थान सरकार द्वारा किए गए हैं।

सरकार से अनुरोध है कि भरतपुर जिले को अनुबंध एवं करार के निर्णय के अनुसार 1281 क्यूसेक (CUSEC)) पानी उपलब्ध करवाया जाये एवं इसके लिए एम ओ यू संबंधित राज्यों के बीच शीघ्र किया जाये, जिससे भरतपुर में पानी की कठिनाई एवं कमी को दूर किया जा सके।

(vi) Need to provide adequate financial assistance from Calamity Relief Fund to the drought-hit areas of Rajasthan

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) मानसून की बेरूखी के कारण पूरे देश में सूखे की आशंका उत्पन्न हो गई है। लेकिन राजस्थान सबसे कम बरसात के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ने वाले जिले विशेष रूप से बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और जोधपुर कम बरसात के कारण अत्यधिक प्रभावित हुये हैं। किसानों द्वारा खेतों की बुवाई का समय निकलता जा रहा है। बुवाई का अधिकांश समय निकल चुका है। ऐसी स्थिति में आपदा राहत कोष से राजस्थान को विशेष सहायता की जरूरत है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में जहां वर्षा बिल्कुल नहीं हुई है, वहां पशुधन को लेकर भी संकट पैदा हो गया है। लोक पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के संभावित अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक विशेष टीम को भी जल्दी से जल्दी राजस्थान भेजा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य सरकार को गिरदावरी करवाने के निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। शीघ्रता से गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त कर आपदा राहत कोष से पृथक किश्त के रूप में कम से कम 7000 करोड़ की राशि राजस्थान सरकार को जारी की जानी चाहिए जिससे राजस्थान में जहां-जहां अकाल की स्थिति पैदा हुई वहां अकाल राहत के कार्य प्रारंभ किये जाये तथा पशुधन के लिए चारा डिपो की व्यवस्था करवाई जाये। दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों का पलायन रोका जाए। किसानों के बिजली के बिल माफ किये जावें तथा बैंक लोन को रिसेटलमेंट किया जाये ।

(vii) Need to include Kehtauri, Bhuiyan, Ghatwal, Bhuiyan-Ghatwal, Periyar and Kadar communities of Santhal Pargana, Jharkhand in the list of Scheduled Tribes

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): I refer the matter raised under Rule 377 on 23.11.2010 regarding inclusion of Khetauri, Bhuiyan, Ghatwal, Bhuiyan-Ghatwal, Periyar and Kadar communities of Santhal Pargana in Jharkhand in the list of Scheduled Tribes.

Further, these communities are included in the Scheduled Tribe Category in Records of Rights-1872, Santhal Pargana Enquiry Committee-1937, Santhal Pargana Gazetteer-1938 and Census of India-1941.

TRI Ranchi in the year 1986 vide letter No. 136 dated 7.5.1986 already showed its clear intention to include these communities in the list of Scheduled Tribes. Not only this, Hon'ble High Court, Jharkhand had also issued orders for inclusion of these communities in the list of Scheduled Tribes.

Thus, without going into any further legal formalities etc., it is necessary that these communities be included in the list of Scheduled Tribes immediately.

(viii) Need to undertake repair and maintenance of National Highway No. 76 between Allahabad – Chitrakoot, Chitrakoot-Banda, and Banda-Mahoba sections in Uttar Pradesh

श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा) राष्ट्रीय राजमार्ग-76 जो मिर्जापुर से इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, होकर पाकिस्तान की सीमा के निकट राजस्थन के पिण्डवारा तक जाता है, यह मार्ग इलाहाबाद से चित्रकूट एवं चित्रकूट से बांदा के बीच तथा बांदा से महोबा के बीच पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इनमें सबसे दयनीय स्थिति चित्रकूट से शिवरामपुर एवं अतर्रा से बांदा मार्ग की है, जहां जगह-जगह पर 3 फीट तक गहरे गड्ढे हैं। मेरे द्वारा पूर्व में भी इस संबंध में कई बार पत्र लिखा गया, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। बुंदेलखंड के इस पिछड़े क्षेत्र में इस मार्ग के ध्वस्त होने से आवागमन बाधित हो गया है। भगवान राम की तपोस्थली, चित्रकूट एक पर्यटन स्थल भी है, जहां देश-विदेश से पर्यटक आते हैं किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग 76 की दुर्दशा के चलते पर्यटकों का आना भी कम हो रहा है। इस राजमार्ग पर आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जनाक्रोश व्याप्त है। इस मार्ग में इलाहाबाद से चित्रकूट एवं चित्रकूट से बांदा के बीच के हिस्से की मरम्मत तत्काल किया जाना आवश्यक है। साथ ही, इसी क्षेत्र में मार्ग का अपग्रेडेशन (उच्चीकरण) किया जाना भी आवश्यक है।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही करके राष्ट्रीय राजमार्ग-76 की तत्काल मरम्मत कराए जाने की मांग करता हूं।

(ix) Need to take effective measures to reduce the Maternal Mortility Rate in the country

श्रीमती सीमा उपाध्याय (फतेहपुर सीकरी) सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के तहत वर्ष 2015 तक भारी में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर घटाने के लक्ष्य को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने लक्ष्य को 100 के स्थान पर 150 कर दिया है।

रोचक बात यह है कि गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में मौजूदा समय में जिस रफ्तार से कमी आ रही है उसमें अतिरिक्त प्रयास किए बिना ही समय रहते 143 तक पहुंचा जा सकता है।

मेरी मांग है कि सरकार आंकड़ों के उलट-फेर को छोड़ गर्भवती महिलाओं की मृत्युदर को रोकने हेतु सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के तहत निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कदम उठाए।

(x) Need to ensure electrification of all the villages in Jhanjarpur Parliamentary Constituency, Bihar as per specified norms

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर) बिहार के मधुबनी जिलान्तर्गत मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र झंझारपुर के क्षेत्राधिकार में जिले के 14 प्रखण्ड आते हैं। इन 14 प्रखण्डों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य अत्यंत ही असंतोषप्रद है। हमारे संसदीय क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य करने की एजेंसी एनएचपीसी है, जिसने ए-टू-जेड नाम की एजेंसी को इस कार्य को कार्यान्वित करने का ठेका दे रखा है। यहाँ विद्युतीकरण का कार्य सभी गाँवों में समान रूप से नहीं हो रहा है तथा इसमें काफी अनियमितताएँ पाई गई हैं। जिन गाँवों में विद्युतीकरण किया भी गया है वहाँ भी इसे पूर्ण रूप से मानकों के अनुरूप नहीं किया गया है। फलतः ऐसे गाँवों के जो बीपीएल परिवार हैं, वे इस योजना से सम्पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि 10,16 और 25 केवीए की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को अधिष्ठापित किए जाने के फलस्वरूप 15 दिनों अथवा एक माह के अंदर अधिकांश ट्रांसफार्मर या तो जल चुके हैं अथवा कई कारणों से दोषपूर्ण हो चुके हैं, जिनके पुनराधिष्ठापन की कार्रवाई एनएचपीसी के द्वारा बार-बार कहने के बावजूद नहीं की जा रही। यह योजना इसलिए भी विफल हो रही है कि इसका डीपीआर त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण डीपीआर होने के बावजूद यदि सर्वेक्षित गाँवों और टोलों को योजनानुसार ईमानदारी से विद्युतीकरण किया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे गाँवों/टोलों सहित बीपीएल के लाभार्थियों को काफी लाभ मिल सकता है। किन्तु ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में इसकी समीक्षा और अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) करने की जिला स्तर पर कोई आधिकारिक न तो प्राधिकार है और न इसके लिए सक्षम और दायित्व बॉडी का ही गठन किया गया है। फलतः एनएचपीसी और इसके मातहत की

एजेंसी ए-टू-जेड पर किसी का न तो नियंत्रण है और न ही अंकुश। अचरज तो यह है कि एनएचपीसी और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में किसी प्रकार का कोई तालमेल और समन्वयन भी नहीं है। यह स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसके चलते राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण की यह योजना धरातल पर अब तक नहीं उतर पाई है जिसके कार्यान्वयन पर सरकार करोड़ों रुपए निर्रथक व्यय कर रही है।

अतः मैं इस दिशा में शीघ्र समुचित कार्रवाई करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

(xi) Need to permit Cooperative Banks to extend agriculture loan to farmers in Maharashtra

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (बुलढाणा) नियम 377 के अंतर्गत मैं रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा 35 ए के अंतर्गत जारी किये गए नोटिस की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसके कारण नाबार्ड ने महाराष्ट्र राज्य के छह जिला सहकारी बैंकों को फसल ऋण उपलब्ध कराने, नये खाता खोलने, नया डिपोजिट इत्यादि कार्यो पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध 16 मई को लगाया जबकि किसानों को खाद, बीज, सिंचाई कार्यो के लिए सहकारी बैंकों को 7 जून से पूर्व ऋण उपलब्ध कराने थे। 16 मई 2012 को प्रतिबंध लगाने से किसानों को फसल ऋण जो मिलता था वह नहीं मिल पाया एवं वित्त व्यवस्था को बनाये रखने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस फसल ऋण को सरकारी बैंक उपलब्ध करवाएंगे। परंतु आपको सूचित करना है कि गांवों में सरकारी बैंकों की पर्याप्त शाखा है, एवं न ही ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी बैंकों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है एवं ऐसे नियम बनाए गए जो गरीब किसान पूरा करने में असमर्थ है जिससे किसानों को इन सरकारी बैंकों से फसल ऋण उपलब्ध नहीं हो सका। महाराष्ट्र के किसानों ने अपने गहने बेचकर एवं अपनी सम्पत्ति बेचकर बुआई की, परंतु पर्याप्त वर्षा न होने से किसानों को दुबारा बुआई कार्य करना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के उपरोक्त नोटिस के कारण इन जिलों के किसान फसल ऋण की सुविधा से वंचित रहे एवं अब भी हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं काफी होती हैं। इस विदर्भ क्षेत्र के किसान फसल ऋण की सुविधा से बहुत वंचित हैं।

मेरा अनुरोध है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने जो 35ए के अंतर्गत महाराष्ट्र के छह जिला सहकारी बैंकों को नोटिस जोरी किये हैं उनको रद्द किया जाए एवं तीन साल तक उनको मोहलत दी जाये जिससे महाराष्ट्र के किसानों को खेतीबाड़ी के वित्त की व्यवस्था हो सके।

(xii) Need to release the balance funds for the Brihan Mumbai Storm Water Drainage Project in Mumbai, Maharashtra

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): The existing drainage system in Mumbai city is more than 100 years olds. The drainage lines are weak and unable to bear the heavy rains water during the Monsoon season. The situation in the city becomes very grave due to flooding in the low lying areas and causes huge loss of life and property during rainy season every year. The Brihan Mumbai Storm Water Drainage (BRIMSTOWD) project is being implemented to overhaul the storm water drain system in the city. For it, out of the sanctioned amount of Rs. 1200 crore, the MCGM has received Rs. 100 crore for which utilization certificate has been submitted to the Government of India. The balance amount of Rs. 200 crore is still awaited from the Govt. of India. The cost of the project has been revised from Rs. 1200 crore to Rs. 3535.41 crore and hence an additional cost of Rs. 2335.4 crore will be incurred on the project. I urge upon the Government of India to release the balance amount of Rs. 200 crore urgently and accord sanction for the additional amount of Rs. 2335.4 crore and release the same at the earliest.

(xiii) Need to address the problems of the distressed people in Paschim Medinipur, Purulia and Bankura districts of West Bengal facing acute shortage of water due to deficient monsoon

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): With the deficit rainfall in this year's delayed monsoon that is playing truant, the large tracts of arable lands of Paschim Medeinipur, Purulia and Bankura remains uncultivated till date. The situation has come to such a pass that people are not getting water not only for cultivation but even for drinking due to acute shortage of water. The livestock in some of the rural areas are facing this problem.

In this situation, until and unless help from outside reach the people living there, it would be extremely difficult for those people to survive.

Therefore, I urge upon the Central Government to lend all the help to suffering-people of those areas immediately on war footing.

(xiv) Need to release the salary of workers of Bharat Wagon & Engineering Co. Limited, Muzaffarpur Unit in Bihar and to give impetus to the production from the unit

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : बिहार राज्यन्तर्गत रेलवे द्वारा अधिग्रहित भारत वैगन कारखाना मुजफ्फरपुर और मोकामा में वहाँ के मजदूरों को 14 माह से वेतन नहीं मिला है। उसके प्रबंधन हेतु पूराबख्ति अधिकारी भी बहाल नहीं है। पूंजी के बिना उत्पादन ठप्प है। यहाँ के मजदूरों का वेतन का पुनरीक्षण भी नहीं हुआ है। जबकि बर्न स्टैंडर्ड कारखाना, हावड़ा और आसनसोल को रेलवे ने बाद में अधिग्रहण किया लेकिन वहाँ रेलवे का ज्यादा ध्यान है और मुजफ्फरपुर और मोकामा में रेलवे की ओर से अपेक्षित ध्यान का अभाव है। इस कारण वह बंदी के कगार पर है। मजदूर भुखमरी की स्थिति में है।

अतः आग्रह है कि भारत वैगन कारखाना में वेतन में पुनरीक्षण के साथ 14 माह का बकाया वेतन शीघ्र भुगतान, उत्पादन हेतु पर्याप्त पूँजी का प्रबंध और प्रबंधन के पद पर शीघ्र अधिकारियों की पदस्थापना हेतु सरकार शीघ्र कार्रवाई करें।

14.05 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Increase in Naxalite and Maoist activities in the Country -- contd.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, Item No. 18 – Shri Basu Deb Acharia.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Deputy Speaker, Sir, I initiated the debate on 'increase in Naxalite activities' on 17th December, 2009. I spoke for two minutes and then the House was adjourned. Subsequently this issue was not taken up during this period.

After almost three years we are again discussing one of the latest threats to our internal security. It was described by both the President of India as well as the Prime Minister a number of times. The Maoist threat is the greatest threat of internal security and during this period, Sir, the Maoist activities have been spread over to nine States. It is now spread over to nine States and activities are on the increase year after year. I have the figures up to 2011 and I have the figure given in an Annual Report of the Ministry of Home Affairs. The situation is very bad at least in two or three States where the State Governments are not in a position to tackle the Maoist threat. More than 3000 people were killed from 2008 to 2011. I have the figures. There are a large number of incidents – may be to the extent of 9000 incidents – that had taken place during this period.

Sir, in West Bengal there was no Maoist activity prior to 2005. But in 2005 what we had seen? I come from Purulia, which is a part of that district which was affected and then Bankura and West Midnapore. The Maoists used to come from the border from Jharkhand and after committing the crime they used to go back to Jharkhand. But from 2006 they started staying in three districts and started organising squad. These Maoist forces were given shelter and they started staying permanently. These Maoist forces were utilised in Nandigram. These forces were utilised in Singur movement. Arms training were imparted to the cadres of a

particular political party and this was made clear even by Maoist leader Kishanji. He made a statement that they were utilised in Nandigram and in Singur.

This is surprising that the country is faced with such a threat from Maoist forces. They are continuing with killing activities. I have the figures from 2009. In West Bengal, in 2008, deaths were 26 but in 2009 it increased to 158. Then in 2011, it increased to 258.

Why was such an increase since 2009? Nearly 500 people were killed during the years from 2008 to 2011. Majority of them were from my Party, CPI (M). They were leaders, cadres, workers and activists; 90 per cent of them were poor people, poor farmers, poor agricultural labourers, and middle class people. They were tribals because the entire area – West Midnapore, Jhargram Sub-Division, Bankura and Purulia's Burdwan, Barabazar, Balarampur, Baghmundi, Jhalda – is a tribal area.

Sir, you will be surprised to know that seven persons belonging to the All India Forward Bloc and a woman Pradhan were taken from their houses, they were asked to stand, and they were killed one after another. I had visited the houses of each and every person who was killed. None had a *pucca* house. They only had a thatched house with tiles. They were all poor people. The former Chairman of Zila Parishad, Shri Rabindranath Kar, was burnt alive along with his wife, while they were sleeping. Their thatched house was put on fire. Out of these 500 people, at least 400 people were belonging to the Left Parties. They were leaders, workers and activists of the Left Parties. When such incidents were taking place, what we expected was that the then leader of the main Opposition Party would condemn those incidents but they did not.

After the Lok Sabha elections, since 2009, the former Railway Minister at the Centre – now the Chief Minister of West Bengal – went to Lalgarh, addressed a meeting and demanded a judicial inquiry against the killing of Mr. Azad, the Maoist leader of Andhra Pradesh. The Government's version was that he was

killed in an encounter but the former Railway Minister stated that Mr. Azad was killed and she demanded a judicial inquiry. … (*Interruptions*)

SHRI REWATI RAMAN SINGH (ALLAHABAD): She said that he was killed by Police. … (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA: Mr. Azad was killed by Police or paramilitary force, whatever might be but she demanded a judicial inquiry, whereas the then Home Minister, Shri P. Chidambaram made a Statement in this House that Mr. Azad was killed in an encounter.

Moreover, Sir, when a frontal organization, People's Committee against Police Atrocities (PCPA) was formed in 2008, there was an attempt on the lives of Shri Buddhadeb Bhattacharya, the former Chief Minister of West Bengal and the former Steel Minister, Shri Ram Vilas Paswan, when they went to lay the foundation stone of the biggest steel plant. When they were coming back, there was an attempt on the lives of the former Chief Minister of West Bengal and also the former Steel Minister. There was not a single word of condemnation by her.

Then, the People's Committee against Police Atrocities was formed. Mr. Chidambaram, in this House had said that 'this Committee is nothing but the frontal organisation of the Maoists.' How many times did the former Railway Minister held meetings with this Committee? How would you be able to control, contain and tackle this problem, if it is not done unitedly. I am saying so because it is a national problem. It is not a problem pertaining to a particular State alone. It is not a law and order problem alone… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt.

SHRI BASU DEB ACHARIA: After becoming the Chief Minister, her first statement was that 'the Central Government should send more and more Paramilitary Forces to Jangalmahal', which is quite contradictory. When they were in the Opposition in the State and when she was the Central Railway Minister, time and again, she was asking to stop the joint operation and withdraw the Central Paramilitary Forces from West Bengal. But after becoming the Chief

Minister, she started demanding to send more and more Paramilitary Forces. When their party was in the Opposition in the State, time and again, she said that there was no Maoist. Sir, I have the statement of the former Central Railway Minister and the present Chief Minister of the State with me.

Prior to becoming the Chief Minister, she did not see any Maoist! Whatever activities were being done, she said, were being done by the Communist Party of India (Marxist) workers. But what is her stand today? Everyone is being branded as Maoist. A poor farmer in a meeting in Lalgarh just asked a question as to why the price of fertilizers had been increased. खाद का भाव इतना क्यों बढ़ गया है? Iimmediately, from the dais of the mike, it was said that he was a Maoist; arrest him. That man was put behind the bar. Then, he was released on bail. Subsequently he was released… (*Interruptions*) He was again arrested and refused bail.

On this incident, the Chairman of the Press Council of India, Justice Markandey Katju has said: "I committed mistake when I said that there are good qualities in the Chief Minister of West Bengal. But I am withdrawing what I said earlier. She is the .... [*] .

Sir, we have all seen in a TV channel that anybody putting an embarrassing question to her means that he is a Maoist or he is a CPI(M) worker. That is the situation today in West Bengal.

Sir, such incidents are increasing, particularly in Chhattisgarh and Jharkhand. How many times our Rural Development Minister had visited Sarenga in West Bengal. Not once in six months, but he visited Sarenga every month.
निशिकांत जी, इनको अच्छी जानकारी वहां से है। I do not know by visiting there what he is doing. Whenever he visits there, an incident happens. जब जब भी जाते हैं, वहां घटना घटती है।

---

[*] Expunged as ordered by the Chair

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): आप क्या चाहते हैं कि इनको नहीं जाना चाहिए?

श्री बसुदेव आचार्य: जाना चाहिए। But what are the solutions? There is one argument that 'as there is no development, that is why, Maoists are spreading their tentacles; Maoists are spreading their influence; Maoists activities are increasing.' But that is not based on facts. I know about one block. Mr. Jatua also knows it. He was an SP in my District. Then, he was a gentleman. It was in 1982… (*Interruptions*) In 1982, there was not a single inch of *pucca* road in Bandwan. He knows it. Mr. Jatua used to visit at least once in two months.… (*Interruptions*) I am talking of the year when you were SP of Purulia in 1981-82. You were SP in Purulia. At that time, not a single inch was *pucca* road. Now, Bandwan is well connected. There is a college; there is a polytechnic; there is a cold storage facility; and there is water supply project. Still the Maoist activities were started from Bandwan in West Bengal. He also knows when I referred to Rabindranath Kar. He was Sabhapati of Panchayat Samiti when he was SP. He was burnt alive. There was not a word of condemnation from your leader. But we expected it. When two persons were killed by Maoists in Balrampur, we condemned that incident but not a single word of condemnation from your leader.

Now, why these activities are increasing? What is the strategy of the Government? Only by use of police force or para-military force, can this be tackled? Is it possible to tackle by just using para-military force? What had happened in Chhattisgarh on 29th June? My BJP friends will bear with me. When 20 *Adivasis,* tribals were killed, what was the version of the Home Minister or the State Government? Their version was that it was because of encounter. I have the statement of two Ministers—one is Minister of State and another is Cabinet Minister of Tribal Affairs. I have the version of the Congress Party of Chhattisgarh. What Shri Charan Das Mahant said was that the information which Mr. Chidambaram had given was wrong information. It was given by the State Government. Three days after the State police and the Central Reserve Force

killed 20 villagers in an encounter in insurgency operation in Bajapur district of Chhattisgarh, an eleven member-team of the Opposition Congress visited the site and dubbed the incident completely fake encounter.

Mr. Chidambaram said it was encounter. He said 20 tribals were killed in encounter. A woman was killed in the encounter. Six year child was injured in the encounter. Who will believe this? The findings are in sharp contrast to the former Union Home Minister, Mr. P. Chidambaram's remarks soon after the incident praising the forces for their courage and skill, claiming that three important Maoist leaders were killed in the raid. If we admit that three Maoist leaders were killed, what about 20 tribals who were also killed? The former Home Minister was silent on this.

Then, my friend, Mr. Kishore Chandra Deo, the Union Tribal Affairs Minister, has challenged the former Home Minister, Mr. P. Chidambaram's version. He has guts to challenge the Home Minister's version of killing of 20 Adivasis in an anti-Maoist operation by security forces in Bijapur district of Chhattisgarh last week. What he said, "I have been getting feedback not just from Congress State Unit but also from a voluntary organization."… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA: I have just started.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken 20 minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA: I am speaking on tribals. हम आदिवासियों के बारे में बोल रहे हैं, अभी थोड़ा समय और दीजिए, अभी हमने शुरू ही किया है। तीन साल के बाद मौका मिला है और फिर भी आप बैल बजा रहे हैं, कृपया बैल मत बजाइये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गये हैं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): हिंदी में बोलने से घंटी नहीं बजायेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: ठीक है, हम हिंदी में बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य दोनों भाषाएं समझते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: आप तो बांग्ला भी समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बोलिये।

श्री बसुदेव आचार्य: आप घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जल्दी कीजिए।

SHRI BASU DEB ACHARIA: The Minister of Tribal Affairs, Mr. Deo is my great friend; good friend. He asked, 'if those killed were extremists, then why most of them were unarmed. Most of them were unarmed. No answer was recovered from them. The first principle of counter insurgency is that you do not shoot unarmed people. Unarmed people including women and a six year old child were shot dead and the explanation being put forward is that it was dark. This explanation would not work as night vision devices are available. The explanation given is that the night vision devices were not available and the Paramilitary Forces and police started firing and innocent tribals were killed. Do you have the right to kill innocent tribal people? What you have done after you got the information that tribals have been killed. They have nothing to do with the Maoists. They might be used as shield. वह क्या करेंगे। अगर शील्ड की तरह व्यवहार किया है तो उन्हें मारना चाहिए, उसके बाद क्या किया।

Our party, Communist Party of India (Marxists) demanded that there should be a judicial inquiry. A time-bound inquiry should be there. While replying to the debate – होम मिनिस्टर यहां नहीं है। गृह मंत्री जवाब देंगे।...(व्यवधान) आप बैठे हैं, दोनों मिलकर कैबिनेट मिनिस्टर हो जाता है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JITENDRA SINGH): He is just coming.

श्री बसुदेव आचार्य: वह आयेंगे, हम जानते हैं, बोलेंगे, लेकिन जवाब देते समय बताना पड़ेगा कि जो ज्यूडिशियल इंक्वायरी की मांग है...(व्यवधान)

SHRI JITENDRA SINGH: A judicial inquiry has already been ordered.

श्री बसुदेव आचार्य: टाइम बाउंड होना चाहिए। अच्छा है कि आपने हमारी मांग मान ली।

My contention is that this problem should be tackled jointly by the State as well as the Centre as it does not pertain to one State but it affects many States. It

is a national problem. The Prime Minister has stated that it is the greatest threat to the national security. So, it has to be tackled jointly but it cannot be tackled only by constructing roads or by development works. What is required to be done?

When an Expert Committee was constituted by the Planning Commission, what Planning Commission Expert Committee has stated on why this problem is getting accentuated. They say, 'however, as time passed, commitment to land reform has weakened and it remained an unfinished agenda.' Mostly the tribals and the *dalits* have been affected in these areas of West Bengal, West Midnapore, Bankura, Purulia and your State, Jharkhand. I know that you know it better. I also know it because I have been educated from Intermediate to Post Graduate in your State.

MR. DEPUTY-SPEAKER: At that time, it was also in Jharkhand.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Purulia was a part of Jharkhand. Not of Jharkhand but of Bihar, at that time. Tribals are at the receiving end. Whenever there is a mining project, tribals have been affected and uprooted. No rehabilitation has been done. They are in their land; but they have no right on the land. That is why, UPA-I had made three contributions – firstly NREGA, secondly Right to Information Act, and thirdly Forest Right Act. We used to extend external support to that Government. Shrimati Ambika Soniji knows how much effort we had to put in to see the enactment of the legislation.

We have been demanding this when the Supreme Court ordered that the people who are staying in the forest land should be evicted and eviction was started in a number of States, except West Bengal and Tripura. In Kerala at that point of time there was no Left Democratic Government. So, except West Bengal and Tripura, everywhere eviction was started. Karnataka, Madhya Pradesh, Waynad district of Kerala were a few examples. I had been to Wayanad district where three tribals had been killed during the police firing. How many years have passed since the enactment of the legislation? At least five-six years have passed. Can the Home Minister tell us whether this Act has been implemented in letter and

spirit? My friend, the Tribal Minister Shri Kishore Chandra Deo, was lamenting and that is why he wanted to simplify the guidelines. Many State Governments are not implementing it and are not giving this right to the Tribals. They are staying there for a number of years – for 50, 60 and even 100 years they are in the forest land – but they have no right! This Act should be implemented.

The second important point is that there is a need for a re-look into our policy. We have opened our minerals, mines and natural resources. Where are the natural mineral resources located? They are in tribal areas, be it Chhattisgarh, or be it Jharkhand. I had been to Bellary and Hospet also. Tribals are there also. हम वहां पर देखने गए थे। रेड्डी ब्रदर्स की माइनिंग कंपनी देख कर आए हैं। थोड़ा हमारा एक्सपीरिएंस हुआ कि कैसे होता है। पांच साल के अंदर इतना पैसा कैसे कमाया। थोड़ा एक्सपीरिएंस के लिए गए थे। These natural resources should be nationalised. Because of mining projects आप कोयला क्षेत्र में जाइए। सीसीएल, सेंट्रल कोल फील्ड्स में जाइए या बीसीसीएल में जाइए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने ईसीएल छोड़ दिया?

श्री बसुदेव आचार्य: ईसीएल में उतना ट्राइब हैं। झारखण्ड में हैं। हम जानते हैं। तमाम कोयला क्षेत्र को हम जानते हैं। Tribals have been affected. They became land oustees. Employment was not given. They are starving. Poverty is rampant. So, there is a need to change the neo liberal economic policy of the Government. Because of that, the poor section of the country is being affected, particularly the tribals.

Sir, I come to the third point.

MR. DEPUTY-SPEAKER: How many points do you have?

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, I am recalling my points slowly and slowly.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This would be your last point.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Okay, but I may take a bit longer.

Article 39 of our Constitution has been mentioned in the report. The constitutional mandate to prevent concentration of wealth in a few hands is being ignored in policy-making. The country is divided between the rich and the poor. The poor are becoming poorer and the rich are becoming richer. यह संविधान में है, चंद

आबादी के हाथ में पूरी सम्पत्ति केंद्रित है, आज क्या हो रहा है? Today, because of the neo-liberal economic policy being pursued by this Government since 1991, the gap between the rich and the poor is widening. हमारे देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस बारे में भी सोचना चाहिए। केवल पैरा-मिलिट्री फोर्स देकर आप इसे टैकल कीजिएगा, you will not be able to tackle this problem unless you address it sincerely and seriously.

उपाध्यक्ष महोदय : आप कह रहे थे कि यह आखिरी प्वाइंट है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह आखिरी प्वाइंट में ही है। हमने जो जिक्र किया है, there is a need for land reforms.

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो आपने बोल दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य: पश्चिम बंगाल छोड़कर, त्रिपुरा छोड़कर, केरल छोड़कर कहां पर लैंड रिफॉर्म्स हुआ है?

Shri Jairam Ramesh in reply to a question stated here that West Bengal is the only such State. Shri Jatua, you were SP when Operation Barga was started. It is the only State where the share-croppers have been given the right and their names have been registered. There is a need for land reforms so that the poor landless labour can also get land. Now-a-days, land reforms are not being implemented in a number of States. Not only the concentration of wealth, but the concentration of land is also in the hands of a few. So, there is a need for land reforms.

Unless the Government sincerely addresses this problem and changes the policy, which is being pursued since 1991, this problem of Maoists and their influence among the poor people cannot be tackled.

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेफ्टविंग एक्टिविटी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा यह महान देश, हमारी आन्तरिक समस्या, जो अंदर की समस्या है, नक्सलाइट एक्टिविटीज कहिये या माओवादी एक्टिविटीज कहिये, यह हमारे देश में पिछले 60 साल से चल रही हैं। पिछले 45 साल में वर्ष 1967 से आज तक बहुत सुनियोजित ढ़ंग से देश में माओवादी गतिविधियां चल रही हैं। पहले तो इनका एक आदर्श था, एक नीति थी, एक समर्पण की भावना थी। उस समय के कार्यकलाप में और आज की माओवादी एक्टिविटीज में जमीन और आसमान का अंतर है और आज वह जमीन पर दिखाई दे रहा है।

महोदय, हमारे देश में इन दिनों वर्ष 2008 से लेकर वर्तमान तक देखेंगे तो करीब 6,687 से ज्यादा इंसीडेंट्स हुए हैं, लेकिन सरकार की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार धीरे-धीरे इसमें कमी आयी है और वर्तमान में करीब 6.1 परसेंट एक्टिविटीज में डिक्रीस हुआ है उसी तरह से वर्ष 2008 से जुलाई, 2012 तक करीब 1973 सिवीलियन्स की कैजुअल्टी हुई है, जबकि 829 सिक्योरिटी फोर्सिज़ की कैजुअल्टी हुई है, नक्सलाइट की कैजुअल्टी मात्र 543 ही हुई है। यदि आप कैजुअल्टी की फीगर्स को देखें तो यह 8.9 परसेंट कम हुई है। सरकार ने दो एंगल से इसको हैण्डल करने का काम किया है और कामयाबी से किया है। केवल सिक्योरिटी मैज़र्स को सरकार ने नहीं बनाया है, बल्कि डेवलपमेंट मैज़र्स को इस संवेदनशील इलाके में इम्पलीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने प्रयत्न किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एनआरएचएम, आदिवासी इलाकों में आश्रम स्कूल, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, सर्वशिक्षा अभियान, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वॉटर प्रोग्राम, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, इंटीग्रेटिड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटिड एक्शन प्लान, आईएवाई और आईएपी योजनाओं को सरकार ने कामयाबी से इम्पलीमेंट किया है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए हॉस्टल के निर्माण के लिए, जिसमें राज्य सरकारों को पचास प्रतिशत देना था, उसको भारत सरकार ने सौ प्रतिशत किया है। फॉरैस्ट राइट एक्ट से तमाम लोगों को फायदा मिला है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि 24,24,441 दरख्वास्त और कम्पलेंट्स आयी थीं, उनकी जगह पर 10,6,672 आदिवासियों को टाइटल डीड मिल पायी है। करीब 12,36,005 क्लैम को रिजैक्ट किया गया है। रिजैक्शन के कारण को हम देखते हैं और जब हम इन इलाकों में जाते हैं, आदिवासियों को देखते हैं तो उसमें एबरप्ट रिजैक्शन किया गया है। जिस आदिवासी को फॉरैस्ट राइट एक्ट के तहत पांच-दस एकड़ जमीन दी जानी चाहिए थी, उनको पचास डैसीमल जमीन, एक एकड़, दो एकड़ जमीन, इस तरह से केसिस को डिसबर्स किया गया है। दूसरे राज्यों की तुलना में ओड़िसा में बहुत कम आदिवासियों को उनका हक़ मिल पाया है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में भी है। इण्टीग्रेटिड एक्शन प्लान में

82 नक्सालइट डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं। इसमें भारत सरकार ने अभी तक 3840 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें काफी सारे प्रोजैक्ट्स लिए गए हैं, जिससे अनएक्सिसैबल एरियाज़ में रोड़, ब्रिज, पेयजल, स्वास्थ्य और विद्यालय की व्यवस्था हो सके, वहां का विकास हो ताकि वहां के आदिवासी उनसे मोटीवेट न हो पाएं और राष्ट्रीय धारा से जुड़कर रहें। इसके लिए भारत सरकार का निरन्तर प्रयास रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की गाइडलाइन में पांच सौ से एक हजार था, जिसको आदिवासी इलाकों के लिए ढाई सौ की जनसंख्या तक किया गया है और जहां बड़े ब्रिज की जरूरत होती है, वहां पचास मीटर की जगह 75 मीटर तक का एलाऊ किया गया है। जहां टैंडर हो रहा है, बड़े-बड़े पैकेज की व्यवस्था थी, लेकिन उस पैकेज को मिनीमाइज़ करके छोटे पुल बनाने के लिए पचास लाख रुपए तक की परमीशन भारत सरकार ने दी है। जंगल, पिछड़े और गांव के इलाके में बेसिक एमनीटिज़ की सुविधा नहीं थी, आदिवासियों के लिए पेयजल, बिजली और विद्यालयों के लिए जमीन की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने रिलैक्स करके एक एकड़ से पांच एकड़ तक फॉरेस्ट एरिया में फ्री जमीन देने की व्यवस्था की है।

महोदय, भारत सरकार ने बार-बार राज्य सरकारों से बात करके पी.ई.एस.ए. और एफ.आर.ए. एक्ट को हल करने की कोशिश की है। अभी फॉरेस्ट उत्पादन के लिए एम.एस.पी. हेतु बनी कमेटी की रिपोर्ट आयी है। अगर उस कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो जाए तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर आदिवासियों को अच्छा दाम मिल जाएगा। आप जानते हैं कि बी.आर.जी.एफ. योजना में भारत सरकार ने पिछड़े इलाके के लिए बारह हजार चालीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इन सब क्षेत्रों में यूपीए सरकार का डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट इतनी ज़ोर से चल रहा है कि अभी हम कैजुएलिटी का जो नतीजा देख रहे हैं, चाहे वह किसी भी तरह की कैजुएलिटी क्यों न हो, वह घटा है।

मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 2006 साफ-साफ यह कहता है कि आदिवासियों को माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे बांस, तेंदू पत्ता या महुआ फ्लावर इत्यादि के संग्रह करने और बेचने का हक़ है। लेकिन, राज्य सरकारें उन्हें ये सब बेचने के लिए परमिट नहीं देती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अभी परमिट देना शुरू किया है। हमारे मंत्री श्री जयराम रमेश वहां गए और उन्होंने आदिवासियों से बांस खरीदा। मैंने भी ओडिसा के जामगुड़ा गांव में आदिवासियों से बांस खरीदा, लेकिन सरकार ने परमिट नहीं दी। यह आदिवासियों के साथ कैसा न्याय हो रहा है? राज्य सरकार इस कानून को इंटरप्रेट कर कहती है कि बांस को हम स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब पार्लियामेंट ने बांस के ऊपर एक्ट पास किया है तो हमारी राज्य सरकारें उसका पालन करने के लिए आज तक अपने कानून में संशोधन क्यों नहीं

कर पाई हैं? क्या इस तरह से पार्लियामेंट, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय जैसे है, के कानून की अवहेलना करनी चाहिए? अगर इस एक्ट को पास किया जाए और आदिवासियों को बांस और अन्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को संग्रह करने और बेचने का परमिट दिया जाए तो इससे कम्युनिटी राइट्स का पालन होगा और करोड़ों आदिवासियों की आर्थिक उन्नति होगी। इससे वे लोग माओवादी नहीं बनेंगे, उसकी तरफ मोटिवेटेड नहीं होंगे। लेकिन राज्य सरकारें आज तक इस बात को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाई हैं? यह बहुत गंभीर बात है। मैं आज इसे सदन में रख रहा हूं और आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि इस पर राज्य सरकारों को ध्यान देकर तुरंत लागू करना चाहिए, नहीं तो जिस दिन आदिवासी और जंगल के हक़ के लिए लड़ने वाले लोग जाग जाएंगे, उस दिन विभिन्न सरकारों के लिए मुश्किल हो जाएगी।

महोदय, आज आप देखेंगे कि यह एक ऐसी समस्या है जिसका आसानी से हल नहीं निकल सकता। सिर्फ़ बात को कह देने से यह हल नहीं होगा। इस तरह की घटनाएं होंगी तो हत्याएं होगी ही। उसके पीछे क्या मकसद है? क्या यह लड़ाई गरीबों के हक़ के लिए लड़ी जा रही है? क्या माओवादी भाई लोग आदिवासियों के हक़ और उनके विकास के लिए लड़ रहे हैं? पहले माओवादी यह कहते थे कि ट्राइबल एरिया में कंपनियों को माईनिंग लीज नहीं देनी चाहिए। लेकिन, आज माईनिंग लीज सभी फॉरेस्ट एरियाज में हैं और सभी जगह नक्सली भाई लोग हैं। मैं नक्सली भाइयों से सवाल करना चाहता हूं कि इस देश में कौन-सी ऐसी जगह है जहां वे कंपनियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ रहे हैं? कंपनियों और कॉरपोरेट हाउसों द्वारा आदिवासियों के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन उन आदिवासियों का उन कंपनियों में शेयर होल्डिंग हक़ दिलाने के लिए, उन कंपनियों से आदिवासियों के रिहैबिलिटेशन और सस्टैनिबिलिटी के लिए और उनके पेरिफेरी के डेवलप्मेंट के लिए जो पैकेज़ चाहिए, क्या उसके लिए भारत के किसी जगह पर लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्ट एजीटेशन में हैं? वे कहीं नहीं हैं। मैं पूरे देश भर में घूम चुका हूं। उनका कहीं भी एक भी आंदोलन नहीं है।

महोदय, जब जंगल में आदिवासियों को हक़ नहीं मिलता है तो लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्टों को उनके लिए लड़ना चाहिए। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसिएल्स उनको प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं। जंगल में चोरी करने वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं। आदिवासियों की उपज को कम कीमत में खरीदने वाले जो कालाबाजारी, व्यापारी हैं, वे आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं। उनके लिए कौन सा आंदोलन लड़ा जा रहा है, उनके लिए भी आज लेफ्ट एक्टीविटी नहीं है। हमारे लेफ्ट एक्टीविटी को चलाने वाले, समर्थन करने वाले भाइयों से मेरा सवाल है कि क्या फोरेस्ट रिसोर्सेस यूस करने के लिए, आदिवासियों का साथ देने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं? आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस जंगल के इलाके में,

आदिवासी इलाके में जो गरीब जनता है, क्या उस गरीब के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, नहीं। मैं जानता हूं, नियमगिरी की लड़ाई मैंने आदिवासियों के लिए लड़ी। प्रीमिटिव ट्राइब्स के लिए मैं सात साल लड़ा, एक दिन नहीं। अगर हम हिंसक लड़ाई लड़े होते, बन्दूक के बल पर लड़े होते, वहां के आदिवासियों ने अगर बन्दूक उठाई होती तो आज नियमगिरी का आंदोलन सफल एवं कामयाब नहीं होता और आदिवासी बिखर गए होते, टूट गए होते तथा जंगल से पलायन कर गए होते। जहां पर सारे लोग थे, सारी ताकत थी। राज्य की सरकार ने एक तरफ कम्पनियों को समर्थन दे दिया, लेकिन आदिवासियों ने अहिंसात्मक ढंग से पूरे पहाड़ को घेर लिया। वहां 11 हजार आदिवासी शांति से बैठे रहे, उन्होंने एक पत्थर तक किसी को नहीं मारा। गरीब या आदिवासी का आंदोलन बन्दूक से नहीं हो सकता है। उनका पेट जल रहा है और उन गरीबों के पेट में ज्वाला है। जब तक गरीबों को व्यापक ढंग से संगठित नहीं करेंगे तब तक गरीबों एवं आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा। उनको तब न्याय मिल सकता है, जब अहिंसात्मक ढंग से, जिस राह पर हमारे पूर्वज महात्मा गांधी जी ने इस देश को जो मार्गदर्शन दिखाया, महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के मंत्र को कहा - "अहिंसा परमोधर्म।" आप जहां पीठासीन है, वह उसकी गरिमा को बताता है। इतने बड़े लोकतंत्र में आपको अगर गैर-बराबरी या वर्ग संघर्ष को लाना है तो क्या हिंसात्मक ढंग से 120 करोड़ की जनता के मुल्क में संभव हो सकता है, संभव नहीं हो सकता है। जब आज भी अहिंसात्मक आंदोलन का रिलेवेंस रहता है और आज भी नियमगिरी के बैटल को आदिवासी जीत सकता है तो क्यों नहीं माओइस्ट भाई लोग अपना तरीका एवं एप्रोच बदलते। मुझे याद है जिस दिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने वहां जाकर डिक्लेयर किया कि आपने यह लड़ाई इसलिए जीती, नहीं तो आप जीत नहीं सकते थे, इसलिए आपको नियमगिरी आपके हक में मिली। युगों-युगों में जो भी अधिकारी एवं प्रधानमंत्री होंगे, जिस जगह पर आप बैठे हैं, आप अगर देश की गरिमा को देखते हुए, लोकतंत्र की मर्यादा एवं मूल्यों को देखते हुए जब भी न्याय देंगे तो अहिंसा जहां है, जहां लोगों का कल्याण शांतिमय ढंग से हो सकता है, उस पर सब लोग न्याय देंगे। लेकिन धमकी देकर एवं बंदूक दिखा कर, केवल कुछ क्रांतिकारी भाई, इनसे अगर देश के गरीबों का कल्याण हो सकता है तो वे आएं, जो मुख्य धारा में जुड़ कर लोगों के लिए लड़ें। हरेक देशभक्त की इस देश में जरूरत है। जितना पैसा भारत की सरकार इन योजनाओं के तहत गांवों, गरीबों एवं आदिवासियों के विकास के लिए देती है, उस पैसे का 70 प्रतिशत जो मिडल एजेंट हैं, ठेकेदार, ऑफिसर और जो भी लोग वहां पर है, वे सब लोग खा जाते हैं, गरीब के पास वह पैसा नहीं पहुंचता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजनीति के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने इसकी कम्प्लेंट भी की है। एमपी एस ए चेयरमैन ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी ऑफ द विजिलेंस कमेटी होता है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में नयापाढ़ा

डिस्ट्रिक्ट टोटली नक्सलाइट इफेक्टिड एरिया है। उसमें इंटेग्रेटेड एक्शन प्लान का जो पैसा है, वह किस तरह से ठेकेदारी में और पोलिटिकल पार्टियों के एजेंट लोगों को बचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन आदिवासी नौजवान को बचाने के लिए या गांव के विकास के लिए वह पैसा खर्च नहीं हुआ। इसलिए मैंने कम्प्लेंट की। मैंने प्लानिंग कमीशन को चिट्ठी लिखी, राज्य सरकार के चीफ सैक्रेट्री को भी चिट्ठी लिखी और उनसे अर्ज करके कहा कि इसे क्लोज करके आप गांव के जो युवक संघ हैं, जो यूथ कमेटी है, उनको दे दीजिए, ताकि वे लोग उसमें इन्वोल्व रहें और उसमें जो मुनाफा निकले, उससे गांव की भलाई करें, उनकी अपनी भलाई करें, ताकि वे लोग मोटिवेट नहीं हों, लेकिन यह काम होता नहीं। इन सब चीजों को बन्द करने के लिए आज पोलिटिकल एप्रोच बदलनी होगी। नक्सलाइट भाइयों को भी मैं अपील करता हूं कि अगर वे आदिवासियों के हित में चाहते हैं तो जंगल छोड़ दें, क्योंकि, जंगल में उनकी और पुलिस की लड़ाई में जो आदिवासी मर रहा है, वह नहीं मरे। मैंने बार-बार टी.वी. के जरिये इसकी अपील की है, मैं जगदलपुर गया था, छत्तीसगढ़ स्टेट का मैं पार्टी का इंचार्ज हूं, मैं वहां गया था, वहां भी मैंने अपील की, मैंने नवरंगपुर में अपील की, मैं उड़ीसा में भी हर जगह अपील करता हूं कि यदि आपको गरीबों के लिए लड़ना है तो इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उनसे मैं अपील करता हूं। साथ-साथ जो भी सुधार लाना है, यह भ्रष्टाचार जो है, गरीबों के लिए जो पैसा जाता है, उसका अगर मोनीटरिंग, यूटीलाइजेशन और सुपरवीज़न ठीक से नहीं होगा तो भी आप नक्सलाइट एक्टिविटी उस एरिया में बन्द नहीं कर सकते।

दो अच्छे कानून, एम.एम.डी.आर. एक्ट और लैंड एक्वीजीशन एक्ट, ये दोनों कानून पार्लियामेंट में टेबल हो चुके हैं। अगर ये दोनों कानून पास हो जाते हैं तो आदिवासी इलाके में मिनरल प्रोडक्ट जितना है, उसमें आदिवासियों को हक मिल जायेगा, शेयर होल्डरशिप मिल जायेगी और सस्टेनेबल डैवलपमेंट होकर उस एरिया में बहुत हद तक ऐसी एक्टिविटीज़ घट जाएंगी।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री भक्त चरण दास : मेरा आपसे निवेदन है, संसद से मेरा निवेदन है और सरकार से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी लैंड एक्वीजीशन एक्ट और एम.एम.डी.आर. एक्ट को पार्लियामेंट में पास करे, ताकि इस देश के गरीब को, आदिवासी को, जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, उनको उनका हक, उनका इक्वल राइट मिले, जो आज तक 60 साल में नहीं मिला और जिसका कारण है कि लोकतंत्र में आज तक की सबसे बड़ी चुनौती जो नक्सलाइट की लैफ्ट विंग एक्टिविटी बनी बैठी है। आप पुलिस फोर्स के नाम पर या नक्सलाइट के नाम पर गरीबों को नहीं मार सकते। दांतेवाड़ा में जो हत्याएं हुईं, उसमें 10

इन्नोसेंट लोग मरे हैं, उसकी जांच के लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं कि ज्यूडीशियल इन्क्वायरी सरकार ने बिठाई है। इसमें स्टेट का इनपुट क्या है, सैण्टर का इनपुट क्या है, इंटेलीजेंस का क्या फीडबैक है, इन सारी चीजों को देखते हुए इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग उसमें दोषी हैं, उसमें सुधार जरूर लाना चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुमारी सरोज पाण्डेय: उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही है, यह देश की एक बहुत बड़ी और गम्भीर समस्या है। मैं अपनी बात की शुरूआत करूं, नक्सलवाद-माओवाद, जिस विषय को लेकर आज हम सब इस सदन में विचार-विमर्श कर रहे हैं, इस विषय पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूं:

'जब तक रोटी के प्रश्नों पर,
पड़ा रहेगा भारी पत्थर,
कोई ख्वाब बस सजाना तुम,
मेरी गली में खुशी खोजने,
अगर कभी जो आना तुम।'

यह एक ऐसी समस्या है, जिस पर राजनीति से परे हटकर देखने की आवश्यकता है। शुरूआत हुई, लेकिन जो विषय और जो तथ्य इस सदन में रखे गये हैं, मुझे लगता है कि वे राजनीति से प्रेरित होकर रखे गये हैं। अगर हम राजनीति से प्रेरित होकर इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे तो आजादी के 64 वर्षों के बाद और कल फिर से स्वतंत्रता दिवस है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इस समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा। यह वह समस्या है, जिसकी शुरूआत हुई कहां से, राजनीति से परे हटकर हमें इस पर विचार करना चाहिए। इस समस्या की शुरूआत किसी शोषण के कारण अगर हुई होती तो हम उसे स्वीकार करते, लेकिन आज यह समस्या एक ऐसी समस्या है, जिसमें कहीं न कहीं इस देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह समस्या देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए एक गम्भीर समस्या है। इस देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि संसदीय प्रजातंत्र के लिए यह समस्या एक गम्भीर समस्या के साथ-साथ संसदीय प्रजातंत्र को समाप्त करने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है।

15.00 hrs

इनका बहुत स्पष्ट उद्देश्य है कि पशुपतिनाथ से लेकर तिरूपति तक एक रेल कॉरीडोर जैसा रेड कॉरीडोर जिस पर ये आधिपत्य चाहते हैं, बंदूक की नोक पर राज करना चाहते हैं, उस उद्देश्य को कोई नहीं देख रहा है। हमने शोषण किया, हमने उन्हें कुछ नहीं दिया, यह कहना पर्याप्त नहीं होगा। इस विषय पर आज विचार करना चाहिए कि क्या पशुपतिनाथ से लेकर तिरूपति तक जो रेड कॉरीडोर की बात हो रही है, क्या उसमें सच्चाई नहीं है? क्या उसी के क्षेत्र के लोग इफेक्टिव नहीं हैं, क्या केवल वही लोग प्रभावित नहीं हैं, अगर हैं तो राजनीति से अलग हटकर उस पर हम चर्चा की शुरूआत करें, आरोप-प्रत्यारोप, लाशों पर राजनीति, मौत के ऊपर राजनीति न करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि मौत किसी की हो, किसी भी व्यक्ति की हो, गरीब की, अमीर की, पुलिस की, आम नागरिक की, मौत उतनी ही पीड़ा देती है, अगर पुलिस की भी मौत होती है तो वह उसके घरवालों को पीड़ा देती है और अगर किसी माओवादी के घर के सदस्य की होती है तो उसे भी पीड़ा देती है। मौत में खुशी नहीं होती है, लेकिन एक मौत पर हम यह बात कहते हैं कि दूसरे लोगों को मारा गया है, लेकिन जब एक पुलिसवाले को घेरकर चारों ओर से माओवादी एक साथ भूनते हैं, उस समय यह सरकार अगर मौन हो जाती है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि आने वाला इतिहास हमें सदियों तक माफ नहीं करेगा, क्योंकि हम बार-बार लाश के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ जब मौत होती है तो लोग इस बात को कहते हैं कि हमने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, एक मौत पर इतनी बातें होती हैं, लेकिन जब कोई पुलिसवाला मरता है, जब सड़कों के ऊपर सुरंगें बिछायी जाती हैं, अभी विकास की बात यहां हो रही थी, मैं अभी उस विषय पर भी आऊंगी। जब सड़कों पर लगातार बारूद की सुरंगे बिछायी जाती हैं और उस पर जब बारात की बस गुजरती है, जिसमें दूल्हा और दूल्हन बैठे होते हैं, उस बस को उड़ा दिया जाता है। दूल्हा-दूल्हन की मौत पर लोग कहते हैं कि हम उस पर माफी चाहते हैं। क्या वह मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, क्या वह मौत अलग प्रकार की होती है, मौतों में भी क्या हम अलग-अलग प्रकार रखते हैं? हम एक ओर हाई कोर्ट को मानते हैं, लोअर कोर्ट को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न भी उठाना चाहती हूं कि आप इन तमाम अदालतों को मानते हैं, फिर जनअदालत क्यों लगती है? छत्तीसगढ़ में लगातार जनअदालतें लगती हैं।

आज यहां पर मीडिया के बहुत से बंधु बैठे हैं। मीडिया के बंधुओं में से बहुत से लोगों ने उसका लाइव टेलीकास्ट किया है। मैंने उसे देखा है। जब छत्तीसगढ़ में जनअदालत लगायी जाती है तो एक क्रूर व्यक्ति की रूह भी उस घटना को देखकर कांप उठती है। मैं बताना चाहती हूं तो तुमने पुलिस की मुखबिरी की, यह एक आरोप लगाया जाता है और एक आरोप के बदले, उसके परिवार की उसकी पत्नी, उसकी मां, उसका पिता, पूरा परिवार और पूरा गांव बैठता है, गोले में लोग बैठते हैं। उसकी बात उसको वहां पर सुना दी जाती है कि आपके ऊपर यह आरोप लगाया गया है। जब उसके ऊपर यह आरोप है तो वह जनअदालत में गोल चक्कर में दौड़ना शुरू करता है। धीरे-धीरे वहां पर मानव की हत्या की शुरूआत होती है, एक हाथ काटा जाता है, फिर पैर काटा जाता है, उसके बाद उसकी गर्दन को रेत दिया जाता है, वह वीभत्स रूप को देखकर इस देश का कोई भी मानव अधिकार का व्यक्ति इस बात को कहने के लिए क्यों नहीं तैयार होता है, यह जनअदालत किस बात का प्रमाण है?

मैं आज इसलिए इन बातों का उल्लेख करना चाहती हूं कि सही मायने में घटना जब घटती है, तो अलग हटकर हमें बात करनी चाहिए। इन बातों पर लगातार समाचार पत्र रंगे जा रहे हैं। अभी शुरूआती दौर में हमारे प्रथम वक्ता ने भी एक बात को कहा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 11 लोगों की मौत हो गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र से ही आती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि वहां पर 11 लोगों की जो मौत हुयी, उस पर सरकार ने भी राजनीति की और वहां के विपक्षी दल कांग्रेस ने भी राजनीति की। वहां पर आपने सदस्यों को उस क्षेत्र में भेजा। मैंने इस घटना का पहले इसलिए जिक्र किया कि जब इनकी मौत हुई, जब ये जन अदालतें लगीं, जब लगातार लोगों को सुरंग के माध्यम से उड़ा दिया गया तो कोई भी व्यक्ति, ग्यारह सदस्यीय दल वहां पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।

15.05 hrs

(Shri P.C. Chacko *in the Chair)*

लेकिन आज वहां पर जब मुठभेड हुई, वहां के आदिवासियों को बचाने की, उस क्षेत्र को बचाने की, वहां की सरकार ने ईमानदार कोशिश की तो उस ईमानदार कोशिश को हम लोगों ने बजाय समर्थन करने के उस लाश पर फिर से राजनीति की शुरूआत की।...(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं, लाश की राजनीति बार बार होती रही तो वह दिन दूर नहीं कि जो माओवाद का प्रमुख और स्पष्ट उद्देश्य है कि वह बंदूक की नोंक पर इस देश में राज करना चाहते हैं। वह सफलता की ओर धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। मैं आज इसलिए इस विषय को कहना चाहती हूं कि नक्सलवाद और आतंवाद में कितना अंतर है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाह रही हूं। वर्ष 2008-09 में, आतंकवाद में 147 लोगों की मौत हुई और नक्सल हिंसा में 482 लोगों की मौत हुई। वर्ष 2010-11 में आतंकवाद में 82 लोगों की मौत हुई और नक्सल हिंसा में 555 लोगों की मौत हुई। माननीय सभापति महोदय यह आंकड़े हमने नहीं जारी किए हैं। यह आंकड़े सरकार जारी करती है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहती हूं कि देश का गृह मंत्री जब इस विषय को मानता है कि मुठभेड़ में जो मौत हुई है उस पर उस राज्य सरकार ने ठीक किया है, उस पर उसी जगह विपक्षी दल अगर राजनीति करेगा तो कैसे बात बन पाएगी? जहां तक शोषण की बात है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बस्तर में कोई शोषक नहीं है। वहां कोई जमींदार नहीं होता है। वहां का जो आदिवासी है वह आज भी साल और महुआ चुनने जाता है। उसको उसकी उपज का उचित मूल्य मिलता है लेकिन यदि वहां पर शोषण होता है और अगर किसी ने शोषण देखा है, तो हमें उस शोषण के बारे में यहां पर कहना चाहिए। वहां की राज्य सरकार ने पिछले पांच

सालों में दो लाख लोगों को जमीन का पट्टा का वितरण किया है। उसके बाद भी उन क्षेत्रों में आज ये परिस्थितियां हैं कि स्कूल नहीं है। स्कूल अगर हैं तो उनको उड़ा दिए गए हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहती हूं। वर्ष 2010 में 107 स्कूलों को उड़ा दिया गया। यह पूरे देश भर की बात है। 96 सड़कों को बारूद की सुरंग से उड़ाया गया। इलेक्ट्रीक टावरों को उड़ाया गया। 26 रेलवे स्टेशनों और रेल लाइनों को उड़ाया गया, 19 बैंकों को उड़ाया गया और करीब 80 पंचायत बिल्डिंग्स को उड़ाया गया। यदि हम विकास की बात करते हैं और यदि हम विकास की बात कर, शोषण की बात कर रहे हैं, अगर इन चीजों को माओवाद के द्वारा उड़ाया जा रहा है तो आखिर हमें इसे किस श्रेणी में रखेंगे। आज यह एक ज्वलंत प्रश्न है। ज्वलंत प्रश्न यह भी है कि जब ये चीजें उड़ती हैं, आज बस्तर में कई-कई दिनों के लिए ब्लैक आउट किया। वहां पर राज्य सरकार ने, छतीसगढ़ की राज्य सरकार ने वहां पर जिस मजबूती के साथ लड़ने की शुरूआत की वह अपने आप में काबिले-तारीफ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूं कि यह वह सरकार है जिसने ईमानदारी के साथ इस समस्या से निपटने की शुरूआत की। उसने वोट की राजनीति नहीं कि आज हमारी वहां सरकार है। पिछले पांच साल हमारी सरकार वहां पर रही है। अगर हमारी सरकार के होने के बाद भी, आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन हमने वोट की राजनीति न कर के उस क्षेत्र में विकास की भरपुर कोशिश की। आज यह स्थिति है कि बस्तर के क्षेत्र में लोग सड़क बनाने के लिए जाना नहीं चाहते हैं। वहां पर मंत्री महोदय गए हुए हैं। वहां पर ग्रामीण विकास मंत्री का जाना हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विषय को बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि विकास उनका ध्येय नहीं है। उनका एजेंडा अलग है इसलिए विकास और शोषण की बात यहां नहीं कर, जो राजनैतिक परिस्थितियां इस देश में बार बार निर्मित हो रही हैं, हमें उसे देखना चाहिए। आज बस्तर के केवल दंतेवाड़ा जिले से केन्द्र की सरकार को छः हजार करोड़ रूपये प्रॉफीट के तौर पर सीधे मिलता है। छतीसगढ़ में यदि आज कोई कार्य कर रहा है तो माननीय सभापति महोदय मैं इस विषय को कहना चाहता हूं कि आज वहां पर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ही मुख्य तौर पर काम कर रही है। अगर कोई छोटा-मोटा काम कर रहा है तो छत्तीसगढ़ मिनरल डैवलपमैंट कार्पोरेशन है। 89 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं दोनों कम्पनियों के पास है। 50 प्रतिशत देश के उपयोग में होता है और 50 प्रतिशत के करीब एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। 6 हजार करोड़ रुपये अकेले दंतेवाड़ा जिले से केन्द्र सरकार प्रॉफिट कमाती है। 6 हजार करोड़ रुपये के बदले बस्तर को क्या मिलता है, आज यह एक ज्वलंत प्रश्न है। हम इस प्रश्न पर आज यह बात जरूर कहना चाहते हैं कि 6 हजार करोड़ रुपये प्रॉफिट कमाने वाली केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को आज तक कोई सहयोग नहीं किया। मैं यह बात भी बताना चाहती हूं कि वहां के तत्कालीन कांग्रेस के नेता

ने कहा कि अमीर धरती के गरीब लोग। वह धरती जो सबसे अमीर रही, उसे आखिर गरीब किसने बनाया। जिन्होंने लगातार शासन किया, उन्होंने गरीब बनाया। जिनके आधिपत्य में वह क्षेत्र रहा। वह क्षेत्र मात्र दस सालों से हमारे पास है। दस सालों में हमने वहां विकास की भरपूर कोशिश की। जब हम विकास की भरपूर कोशिश करते हैं तो उस विकास की कोशिश को अंजाम देना हमारे लिए कितना कठिन होता है, मैंने अभी आपके सामने वह चित्रण प्रस्तुत किया है। लेकिन अमीर धरती के गरीब लोग कहने वाले लोगों ने पिछले 64 वर्षों में जो किया, आयरन ओर की रॉयल्टी मिट्टी के रेट से भी चार गुना कम दी गई। 18 रुपये प्रति टिन आज से छः साल पहले रॉयल्टी मिला करती थी। जो लोहा गलने के बाद 4 हजार रुपये होता है, उसकी रॉयल्टी 18 रुपये मिली। यह धरती गरीब नहीं होगी तो क्या अमीर होगी। इस अयस्क का वहां कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। बस एक ही काम है पत्थर तोड़ना और उसे एक्सपोर्ट कर देना।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक विषय और बताना चाहती हूं। जब हम इस समस्या के निदान की बात कर रहे हैं तो दो तरफ की बात नहीं करनी चाहिए। दो तरफ की बात मैंने इसलिए कही कि एक तरफ जिसे हाई कोर्ट आरोपी मानता है, पूरे देशभर के कथित मानव अधिकारवादी वहां पहुंच जाते हैं। श्री विनायक सेन, उन्हें हाई कोर्ट आरोपी मानता है, लेकिन केन्द्र सरकार उन्हें इस बात का पुरस्कार देती है कि आप इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए योजना आयोग में उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सदस्य मनोनीत किया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को इस विषय पर पत्र लिखा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया को पत्र लिखा। लेकिन उन्हें एक साल तक सदस्य बरकरार रखा गया। यह आखिर दोमुंही नीति नहीं तो क्या है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बात स्पष्ट तौर पर बताना चाहती हूं कि यदि हम इसी प्रकार की चीजें करते रहे तो माओवाद का अंत नहीं होगा। हम यहां फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे और चर्चा के माध्यम से अपनी बात कहेंगे, लेकिन हम जहां खड़े हैं यहीं खड़े होंगे। 64 साल के बाद जहां हम रह गए हैं, आने वाले कल के स्वतंत्रता दिवस के बाद भी वहीं पर होंगे। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र सरकार इस विषय को राज्य सरकारों के साथ, यह केवल एक राज्य की समस्या नहीं है, यह दस राज्यों से संबंधित समस्या है और अगर हम तमाम राज्यों के लोगों को मिलाकर अपने देश की एकता, अखंडता और सम्प्रभुता के लिए कोशिश करेंगे तो माओवाद की समस्या का निदान खोज पाएंगे।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

1514 बजे

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे नक्सलवाद और माओवाद समस्या पर श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत नियम 193 के अंतर्गत चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने बड़े ध्यान से श्री बसुदेव आचार्य, भक्त चरण दास जी और आदरणीय बहनजी को भी सुना। इस हाउस में यह चर्चा पहली बार नहीं हो रही है बल्कि कई तारांकित प्रश्न और इसके पूर्व जब-जब घटनाएं घटीं तो शून्य प्रहर में भी हमने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की आंकड़े यह बताते हैं कि सन् 2011 तक 1476 घटनाएं घटी हैं, जिनमें 513 निरपराध लोग मारे गये हैं। यहां हमारे गृह राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। इन्होंने एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया कि जबरन धन वसूली आदि की घटनाओं को छोड़कर हिंसा और अपहरण की जो घटनाएं घटी हैं, उनमें सन् 2009 से लेकर अब तक कमी आयी है। मैं मानता हूं कि वर्ष 2009 में 2258 घटनाएं घटी हैं। वर्ष 2010 में 2218 और 14 नवम्बर 2011 तक 1468 घटनाएं घटी हैं। लेकिन देखा गया है कि हमारे जो नक्सल प्रभावित एरियाज हैं, वे ज्यादातर आदिवासी, अनुसूचित जाति-जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। उनके कदम खुशी से नक्सलवाद, माओवाद की तरफ नहीं बढ़े, बल्कि समाज की मुख्य धारा से जब ये लोग अलग हुए, तब बढ़े। उनके ठिकानों पर, ज़ड़, जंगल, जमीन पर इनका कब्जा था। ऐसे भी क्षेत्र देखे गये हैं, जहां रास्ते नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं हैं, बिजली नहीं हैं। इस कारण वे समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गये हैं बिछुड़ गये हैं। उनके एरियाज में आज बहुत ही विकास की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे एरियाज है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और जनपद चंदौली, ये दो क्षेत्र बहुत ही प्रभावित हैं। वहां पर ज्यादातर आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग प्रवास करते हैं। उनकी बहुत दिनों से मांग थी कि वहां भारी उद्योग लगाये जायें। वहां कोयले की खदानें भी हैं, जिनकी वजह से उनको विस्थापित भी किया जाता है। उन्हें जो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिएं, वे इस कारण नहीं मिल पातीं। आज भी देखा गया है कि वहां जो साहूकार हैं, उनसे अगर उन्होंने थोड़ा बहुत ऋण लिया है, तो उससे भी वे प्रभावित होते हैं। जब उस क्षेत्र में पट्टा देने की बात आती है, तो उससे भी वे प्रभावित होते हैं। उनका पट्टा नहीं दिया जाता, ताकि वे स्वयं कोई रोजगार कर सकें। इस कारण वे मजबूर होकर नक्सलवाद की तरफ बढ़ते हैं।

मुझे याद है कि जब पिछली बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे, तब बासमती नाम की एक आदिवासी महिला, महिला क्या वह लड़की थी. ...(व्यवधान) उसका नाम बासमती था और मुश्किल से उसकी उम्र 19 साल थी। जब मुख्य मंत्री जी नक्सल प्रभावित क्षेत्र नौगढ़ गये, तो वहां लोग पहले आये नहीं, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इकट्ठे हुए। उस समय कहा गया कि इसका जो लीडर है, वह सामने आये,

लेकिन कोई सामने नहीं आया, बस वह 19 साल की लड़की आयी। मैंने पहले जो बातें कहीं कि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़े हुए नहीं हैं, वहां कोई विकास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने वहां तत्काल घोषणा की और उनकी जितनी मांगें थी, वे सब मान ली गयीं। तथागत जी, आज यह हाल है कि वह लड़की उस एरिया की ब्लाक प्रमुख है। ...(व्यवधान) जहां उनका निवास है, यह भी समझ लीजिए कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। वे जब समाज की मुख्य धारा से जुड़े, सड़क बनी, स्वास्थ्य, स्कूल आदि तमाम सुविधाएं दी गयीं, विकास किया गया तब जाकर वे समाज की मुख्यधारा से जुड़े। आज वे वहां पर अच्छे तरीके से जीवनयापन कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए और सरकार ने किया भी है। ऐसी बात नहीं है। अभी मैं भक्त चरण जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों ने मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी ली है, विकास की तमाम सारी बातें की हैं। मैं उस नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि चार राज्यों के जो 34 जिले बहुत प्रभावित हैं, उन पर सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिए। आपको एक योजना यह भी बनानी चाहिए कि किस प्रकार से ये लोग समाज की मुख्यधारा से जुड़ें और ये लोग आत्मसमर्पण करें। सरकार ने आत्मसमर्पण के बारे में योजना और नीति बनाई है, इसमें तमाम सारी बातें रखी गयी हैं कि आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के लिए मुकदमों पर जो खर्च होगा, सरकारी वकील का खर्च सरकार वहन करेगी। अगर उनका घर उजड़ गया है, अगर उनके पास रहने योग्य मकान नहीं है, तो उनको किराया भी दिया जाएगा, बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ने के लिए पूरी सुविधा सरकार करेगी। उनको खेती योग्य जमीन देने की बात कही गयी है और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए ढाई लाख रुपये, जिसमें से 50,000 रुपये तत्काल देने की व्यवस्था की गयी है। अगर देखा जाए कि किसी परिवार में पांच-छः सदस्य हैं, तो उनके लिए यह राशि बहुत कम है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें यह बात सामने आई है कि बच्चों के सहारे नक्सली आंदोलन चल रहा है, जासूसी के अलावा, सामान ढोन और खाना बनाने जैसे काम बाल-दस्तों से नक्सली करा रहे हैं। बहुत से लोग जो नासमझ और गुमराह थे, वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनका बहुत शातिर दिमाग है या उनका मकसद हमें समझ नहीं आता है, ऐसे लोगों के द्वारा बच्चों को इसमें शामिल करने की जो साजिश हो रही है, उस पर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा कि ऐसे इलाके में एक विशेष अभियान चलाकर बच्चों को मुक्ति दिलाएं, तभी नक्सलवाद-माओवाद हमारे यहां से पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था कि एक मुठभेड़ में 15 साल की लड़की मारी गयी। स्थानीय राज्य सरकार उनके विकास और पुनर्वास के लिए विशेष ध्यान दे। देश में ऐसे पिछड़े राज्य भी हैं - छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा आदि - जहां पर विशेष पैकेज देकर उनको पुनवार्सित कर सकते हैं, वहां विकास कर सकते हैं। गृहमंत्री जी, यह आज की आवश्यकता है। कभी-कभी

गृहमंत्री जी का बयान आता है कि सख्ती से निपटा जाएगा, मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी बात से आप सख्ती से नहीं निपट सकते। सख्ती से निपटना हो, तो जो आपके पड़ोसी देश हैं, रोज जो फायरिंग और घुसपैठ हो रही है, उनसे निपटिए। अपने यहां जो आंतरिक सुरक्षा का खतरा है, हमारे समाज में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जिनका शोषण हुआ है, जिनका विकास नहीं हो पाया है, ऐसे लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, सख्ती की जरूरत नहीं है, बल्कि मरहम लगाने की जरूरत है, विशेष पैकेज देकर उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के लिए आपके विशेष इलाके में विशेष पैकेज देने की आवश्यकता है। जब किसी क्षेत्र में कोई छोटी-मोटी मुठभेड़ होती है, तो आपकी ओर से कहा जाता है कि इससे सख्ती से निपटा जाएगा। राज्यों ने मांग की थी कि हमें हेलीकॉप्टर दिया जाए जिससे ऐसे स्थानों जहां पर नक्सली रहते हैं, को सर्च कर सकें। आज नक्सलियों एवं माओवाद से जुड़े हुए सक्रिय लोगों के पास अत्याधुनिक असलहे-हथियार हैं। वे भी धमकी देते रहते हैं कि हम लाइट मशीन गन से हेलीकॉप्टर पर हमला कर देंगे। अगर उनके पास ऐसे अत्याधुनिक असलहे हैं, तो आज हमारे जो सुरक्षा बल हैं, चाहे सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, जिनको हम उन क्षेत्रों में लगा रहे हैं, उनको अत्याधुनिक असलहों एवं सुविधा की आवश्यकता है, ताकि वे इनसे सख्ती से निपट सकें या जो उनसे जुड़ने वाले लोग हैं, उनका आत्मसमर्पण कराकर उनको मुख्यधारा में ला सकें। मैंने देखा है कि आत्मसमर्पण के बारे में आपने जो नीति बनाई है और धनराशि रखी है, वह बहुत कम है। आप उनकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए कि कैसे उनका परिवार वहां पर बसे, परिवार की शुरूआत कैसे हो, वे अपना भरण-पोषण कैसे कर सकें, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। सख्ती कम करे, नरमी ज्यादा बरतें, तो मेरे ख्याल से नक्सलवाद समाप्त हो सकता है। मैं सरकार और गृहमंत्री जी से कहूंगा कि ये अपने ही भाई हैं, जिनका कई पीढ़ियों से जंगल से संबंध रहा है, आदिवासी लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। इसके लिए हमें उनके बीच में जाना चाहिए। यूं तो छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, ओड़िशा में भी दो इटैलियंस के अपहरण की घटना हुई। यह अपहरण उन्होंने केवल अपनी मांगें मनाने के लिए किया था। ओड़िशा सरकार ने इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किया और समाज की मुख्य धारा में उन्हें लाने के लिए उनके साथियों को भी छोड़ा तथा उनकी कुछ अन्य मांगें भी मानी। इस तरह के प्रयास होने चाहिए। मैं चाहूंगा सरकार इस पर विशेष ध्यान देकर, उनके लिए पैकेज की घोषणा कर, उन्हें पुनर्वासित करने की व्यवस्था कर और उन पर जो मुकदमे दर्ज हैं, उन पर सकरात्मक रुख अपनाते हुए उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, I stand here to discuss the topic that was selected during December 2009 by Shri Basu Deb

Acharia, which he actually initiated today, which is regarding "increase in Naxalite and Maoist activities in the country".

Two specific names have been mentioned here, i.e. 'Naxalites' and 'Maoists'. I am thankful to Shri Bhakta Charan Das who repeatedly used the term 'Left Wing Extremists' during his deliberation. I think that would have been more appropriate nomenclature to describe what and how they have been indulging in these activities. It has travelled a long distance since the Naxalite movement started in mid sixties.

Once we try to describe them as 'Naxalites' or 'Maoists' the attention is equally drawn towards China and China's support to these elements. Behind our back we always have to remember as to where these 'Maoists', 'Left Wing Extremists' or the so-called 'Naxalites' are functioning.

I had an encounter with Ms. Shobha De at Bhubaneswar airport. She had gone there to address certain function. She asked me: Why is it that wherever the industries go we find the 'Left Wing Extremists' are coming up in that area? What connection do these two have? I said: I leave it to your imagination Madam. But the moment 'Left Wing Extremists' are entrenched in mining areas, in industrial areas, the administration, i.e. the State slowly withdraws from that area. Whom does it help? It helps the corporate sector and it helps the 'Left Wing Extremists'. If this is the connection, how many of us have the courage to say this openly? Rarely do we mention this in any forum. If there is a connection, let us probe this connection. I urge upon the hon. Home Minister and his colleagues to probe this. I would be very happy if I am proved wrong. But this is the impression which many of us still hold.

Another connection is the kind of support that our northern neighbour extends to these 'Left Wing Extremists'. Firstly is there any connection? Do we have any information about this? Is there any connection through a third party or a fourth party? Why are these 'Left Wing Extremists' only targeting those areas where mines and industries are there, where there is a scope for prosperity, which

can lead this country to a double-digit growth? Is there a manipulation or a design that the northern neighbour of our country indulging in to keep our growth and development in a suppressed way so that they can lead?

When we discuss about increase in Naxalite and Maoist activities in the country, we also have to find out what connection do these people have. I was going through certain reports; the amount of ammunition and arms that actually come into this country, most of it has this Chinese impression. No doubt the SLR, AK-47 or whatever machine guns or whatever rocket launchers or whatever is being used has a Chinese bearing on that. That is why, it is not only the look out of the Ministry of Home Affairs alone, it has connotations on our border and also it has connotations in our neighbourhood.

Therefore, I would say Naxalites and Maoists always say they have declared war and that war is against the Indian State. What does Indian State signify? We have a Constitution, we have a democracy, we have a judiciary and we have a free Press. When they declare a war against the Indian State, it means they do not accept any of these institutions that we have built up for the last so many decades. Those people, especially those who always vouchsafe for human rights and those who try to protect them in the garb of human rights also encourage these fissiparous activities in the country. I do not know willingly or unwittingly, they also support them in a grievous way and weaken the fabric of this country. We agonise over ways of eliminating the long festering Naxalite problem. I am of the opinion that while all effective, legal and legitimate options should be on the table of policy makers to meet the gravest threat to internal security, an out-and-out bellicose and militaristic response to such crisis could be ill-advised.

A restrained approach to counter Naxalite operations becomes difficult to articulate in a public discourse. An unambiguous understanding needs to be developed that going down the path of a self-destructive war against the Naxalites is simply not an option.

First, my request would be do not promote armed conflict with the Maoist to the status of war. This idea stem from the misunderstanding that once it is "declared" as a war, then the States' power to deal with the menace will be unfettered by human rights considerations. It should be kept in mind that even in war, international humanitarian law prohibits causing unnecessary suffering to combatants as well as non-combatants.

Whatever the outcome of the inquiry ordered after the 19 alleged killings in an operation in June in Chhattisgarh, the incident will work to the Maoists' advantage. In their cynical way, the Maoists use such incidents to further the cycle of violence. True, the State has no choice but to put down Maoist violence. But that is not a matter of using force alone. Equitable development, a sense of participation in the social contract, is what needs to be extended to Left-Wing Extremist-hit areas. We should not forget the existing deficiencies in the State police forces operating in the Left-Wing Extremist areas in the States.

These deficiencies need to be plugged quickly. A two-pronged approach of police action and development in the naxal stronghold areas can only be successful if the State police forces have adequate trained police personnel in police stations as well as trained police forces to counter the growing naxal activities.

Here, I should also mention that Shri Bhakta Charan Das mentioned about the minor forest produce. Humbly, I would only mention here that bamboo is also grown in the North-Eastern States. Please find out how the States like Manipur, Mizoram, Assam and others are operating. Have they made bamboo free for the tribals who live in those areas? At the same time, I would also mention that Odisha has been pioneer in providing the record of rights to the forest dwellers. Within the last three years since 2008-09, a large number of people have been provided with the record of rights as forest dwellers. I think in Nawapara district also these people have been provided with this.

SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): In the North-Eastern States, they depend on the economy of bamboo, which I know. But the tribal economy of

Odisha does not depend on bamboo. We give it to the paper mill owners at cheaper price. Rather it is better to give to the tribals.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Mahtab, please wind up. It is enough.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, the IAP is an innovative programme which has started since the last two to three years. The Rural Development Minister has been very forthright in condemning that programme. He says that it should be subsumed with the Backward Region Development Fund. About this IAP, my experience is this. One of my Assembly Constituencies comes under the Left-Wing Extremist-Affected District. A large number of areas of Odisha also come under that. A certain fund has also been provided. I am reminded here that the District Magistrate of Malkangiri was abducted 18 months back. After a lot of negotiations and through third-party intervention, he was released. Now, he is serving as the Private Secretary to the Rural Development Minister in Delhi. He has first-hand knowledge. Very recently, the Rural Development Minister also visited that district though he did not venture to go into those areas where actually the District Magistrate was abducted and was confined. But, anyway, the Minister has come on record in different media saying that the IAP is not giving us the results. We have been saying that because we also know what is happening on the ground. By providing Rs.30 crore to the District Magistrate, it does not help in getting the things done. Further, the Backward Region Development Fund also gets distributed among the members, the local representatives, of the Panchayati Raj Institutions. But we have to find out a certain mechanism where development has to go hand in hand to provide them facilities, empower the people of that area.

Before I conclude, I would only say this much… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Dara Singh Chauhan. Shri Mahtab, please take your seat.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Let me conclude it.

MR. CHAIRMAN: I have given you enough time. Why do you not wind up? A number of times, I have given you warnings.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I am winding up. That is what I am saying. I am making my concluding remarks.

MR. CHAIRMAN: There are other hon. Members who also want to participate in the discussion. Please take one minute and wind up.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I do not know till what time this Short Duration Discussion will continue.

MR. CHAIRMAN: Your Party’s time is six minutes. You have taken 12 minutes. Other hon. Members are waiting. Please listen to this.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I am listening to you. I am concluding with this remark.

The Maoists represent a crisis of sovereignty as well as a failure of democracy. The challenge is also that of a political ideology, and it must be dealt with as such. The Maoists want sustenance drawn from the further misery inflicted on India’s poorest people by military operations. Maoism thrives on deficit of democracy. It thrives in the lives of the poor. The point is, to remove that democracy deficit.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, मैं श्री बसुदेव आचार्य के द्वारा नियम 193 के अधीन देश में नक्सलवादी और माओवादी गतिविधियों में हुई वृद्धि पर चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आखिर इन गतिविधियों का कारण क्या है, इस पर चर्चा के लिए हम खड़े हुए हैं। क्योंकि जब तक हम कारण नहीं समझ पायेंगे, तब तक हम इसका निवारण नहीं कर सकते। देश में इतने बड़े पैमाने पर जो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी लोग हैं, आज उनके साथ नक्सलवाद और माओवाद के नाम पर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं या उनकी हत्याएं हो रही हैं। निश्चित रुप से यह बहुत ही चिंतनीय है। उनके मन में आजादी के बाद और उसके पहले भी जब इस देश की आजादी के लिए तमाम लोग लड़ रहे थे तो देश के आदिवासी लोगों ने भी इस देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, चाहे बिरसा मुंडा हो या जो तमाम आदिवासी नेता थे, उन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है और आजादी के बाद आज भी वे गैर बराबरी के शिकार हैं। इसलिए उनके मन में जो भाव पैदा हो रहा है, उसके कारण आज इस देश में नक्सलवाद के विषय पर चर्चा हो रही है। सामाजिक, आर्थिक गैरबराबरी नक्सलवाद और माओवाद का मुख्य कारण है। जब तक सामाजिक, आर्थिक गैरबराबरी को हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम इस पर अंकुश नहीं लगा सकते, उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। आज इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई जंगल, जमीन और जल को लेकर है। इसके लिए आदिवासी इलाकों में संघर्ष हो रहा है। अपने हक और अधिकार के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। मैं जानता हूं यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इच्छाशक्ति की कमी के नाते आज यह समस्या बढ़ रही है। हम जानते हैं इस देश के नौ प्रदेशों में नक्सलवाद की समस्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चंदौली, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज के जो इलाके नक्सलवाद से प्रभावित थे, तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी की सरकार की इच्छाशक्ति के कारण वहां नक्सलवाद समाप्त हो गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसे जोर-जुल्म के साथ नहीं, उन लोगों को संगीनों और बंदूकों के निशाने पर लेकर नहीं, उनकी हत्याएं करके नहीं किया जाए, बल्कि आज उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। आज इसका कारण यह है कि उनकी खनिज सम्पदा और उनके अधिकारों पर जो हमला हो रहा है, इसके कारण ही देश में नक्सलवाद बढ़ रहा है।

महोदय, आज जिस तरह से उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं, यदि नाइट विजन उपकरणों के द्वारा नक्सलियों को मारा जायेगा, उन पर अंकुश पा लिया जायेगा, मैं समझता हूं कि यदि इस नीयत के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रुप से नक्सलवाद पर हम कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। केवल यह कह देना कि सफलता का सबसे बड़ा आधार यही है कि हमारे बहुत सारे जवान मारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जवान मारे जाने के नाते नक्सल भी मारे जा रहे हैं, इसका प्रमाण पत्र देना बेइमानी होगा।

आज उनके अधिकारों को लेकर कई बार चर्चा हुई है। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, उन्हें जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। 2006 में अनुसूचित जाति और जनजाति या वनों में रहने वाले लोगों के लिए जो अधिनियम, 2006 बनाया गया, 2007 में उसे लागू कर दिया गया।

MR. CHAIRMAN: Dara Singhji, please take your seat.

15.45 hrs

RE: DEMISE OF CABINET MINISTER, SHRI VILASRAO DESHMUKH

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): सभापति जी, अभी-अभी एक दुखद घटना का समाचार मिला है। मेरे कुलीग श्री विलासराव देशमुख का देहांत हो गया है। मैं आपसे विनती करूंगा कि ऐसे समय में सदन चलाना ठीक नहीं होगा। यदि आप सब लोगों की सहमति हो तो सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदय, यह बहुत दुखद समाचार है। सदन के नेता ने आपके सामने जो सुझाव दिया है, मैं समझता हूँ कि सदन के सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। यह बहुत दुख की बात है।

MR. CHAIRMAN: In view of the sad demise of Shri Vilasrao Deshmukh, the House stands adjourned to meet again on Thursday, the 16th August, 2012 at 11.00 a.m.

15.46 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 16, 2012/Sravana 25, 1934 (Saka).